खंड 4 – विकास कार्यान्वयन (प्रैक्सिस) के मुद्दे

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 12 विकास, प्रवासन और विस्थापन*

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 प्रवसनः मूल सिद्धांत और प्रारूप

12.3 प्रवसर और विकास

12.3.1 कारण और परिणाम

12.4 विस्थापन

12.4.1 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

12.4.2 विस्थापन और विकास

12.5 विकास, प्रवसन और विस्थापनः परस्पर सम्बन्ध

12.6 सारांश

12.7 शब्दावली

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- प्रसवन और उसके रूपों का वर्णन कर सकेंगे;
- प्रवसन और विकास के बीच संबंध को रेखांकित कर सकेंगे;
- विकास से सम्बन्धित प्रवसन के कारणों और परिणामों पर चर्चा कर सकेंगे;
- विस्थापन और उसके आशय की समझ;
- विस्थापन और प्रवसन के बीच संबंध का वर्णन कर सकेंगे; और
- प्रवसन, विस्थापन और विकास के परस्पर सम्बन्धों पर चर्चा कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

विकास, प्रवसन और विस्थापन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुये हैं, इसलिए इस इकाई में हम प्रवसन की अवधारणा और इसके रूपों प्रवसर और विकास के साथ सम्बन्ध और इसके कारणों और परिणामों पर चर्चा करेंगे। फिर हम विस्थापन का सम्बन्ध विकास के साथ क्या है, की चर्चा करेंगे। इस इकाई के अंतिम खण्ड में प्रवसन, विस्थापन और विकास के बीच संबंधों पर चर्चा होगी। आइये, अब हम प्रवसन की अवधारणा और उसके रूपों पर चर्चा करते हैं।

12.2 प्रवसनः मूल सिद्धांत और प्रारूप

प्रवसन शब्द से तात्पर्य है, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जनसांख्यिकी शब्दकोष के अनुसार "प्रवसन भौगोलिक गतिशीलता या स्थानिक गतिशीलता का एक रूप

*डॉ. ओमप्रकाश मांझी द्वारा लिखित।

है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच आमतौर पर निवास स्थान या प्रस्थान के स्थान से निवास स्थान या आगमन के स्थान पर परिवर्तन को शामिल करता है।" इस प्रकार का प्रवसन स्थायी प्रवसन कहलाता है, इसे अन्य प्रकार की गतिशीलता से अलग किया जाना चाहिए जिसमें निवास का स्थायी परिवर्तन शामिल नहीं है। एवरेट ली प्रवसन को मोटे तौर पर निवास के स्थायी या अर्ध–स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते है। इस तरह की गतिशीलता की दूरी, स्वैच्छिक और अनैच्छिक व्यवहार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

ईसेनस्टैड के अनुसार, "प्रवसन एक व्यक्ति या समूह का एक समाज से दूसरे समाज में शारीरिक रूप से स्थानांतरण होता है। इस परिवर्तन में आमतौर पर एक समाज को छोड़कर दूसरे समाज में रहना पड़ता है।"

मंगलम भी अपनी परिभाषा में लोगों के स्थायी स्थानांतरण पर जोर देता है और प्रवासियों के एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान पर एक समूह के रूप में दूर स्थायी रूप से स्थानान्तरण करने को शामिल करता है। यह प्रवासियों की ओर से निर्णय लेने की पहले हैं। प्रवासी इस बात की तुलना करते हैं कि वह जहाँ जा रहे हैं क्या उनके लिये फायदा का सौदा होगा या नुकसान होगा। जो लोग छुट्टी लेकर घुमने जाते हैं और जो व्यापार करने के लिए पानी के जहाज से जाते हैं। यह सब प्रवसन में शामिल नहीं है। मेहता, राजस्थान के अपने अध्ययन में प्रवसन को गतिशीलता या स्थानिक गतिशीलता के रूप में मानते हैं। इन सभी परिभाषाओं से पता चलता है कि सभी विद्वान समय और स्थान पर जोर देते हैं और प्रवसन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से या अर्ध–स्थायी रूप से स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते हैं। संक्षेप में, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान या गाँव को छोड़कर शहर में आता है वहां नौकरी करता हैं, वहाँ रहना शुरू करता है, तो उसे एक प्रवासी के रूप में जाना जाता है और उसके इस कदम को प्रवसन के रूप में संदर्भित किया जाता है।

प्रकार

लोग अलग–अलग राज्यों के बीच या एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के बीच या किसी अलग देश के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं, इसलिए आंतरिक और बाहय प्रवसन के लिए भिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। आन्तरिक प्रवसन से तात्पर्य किसी देश के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवसन से है, जबकि बाहय प्रवसन या अन्तर्राष्ट्रीय प्रवसन से तात्पर्य एक देश से दूसरे देश में प्रवसन हैं।

(क) आप्रवसन और उत्प्रवसनः आप्रवसन का तात्पर्य किसी देश से दूसरे देश में प्रवसन करता है और उत्प्रवसन का तात्पर्य देश से बाहर प्रवसन से हैं। इन शब्दों का उपयोग केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रवसन के सम्बन्ध में किया जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में बसने के लिए भारत छोड़ने वाले प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के अप्रवासी है और भारत के प्रवासी हैं।

(ख) आप्रवसन और बाह्य प्रवसनः इनका उपयोग केवल आन्तरिक प्रवसन के सम्बन्ध में किया जाता है। प्रवसन एक विशेष क्षेत्र में प्रवसन को प्रदर्शित करता है। जबकि बाहरी प्रवसन एक विशेष क्षेत्र से बाहर की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बिहार या उत्तर प्रदेश से पंजाब आने वाले प्रवासियों को पंजाब के लिए अप्रवासी और बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बाहरी प्रवसन माना जाता है। प्रवसन शब्द का उपयोग प्रवासियों के गंतव्य क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है। और बाह्य

प्रवसन शब्द का उपयोग प्रवासी की उत्पत्ति के क्षेत्र या प्रस्थान के स्थान के संदर्भ में किया जाता है। प्रवसन के मुख्य रूपों को एक चार्ट में प्रदर्शित किया गया है।

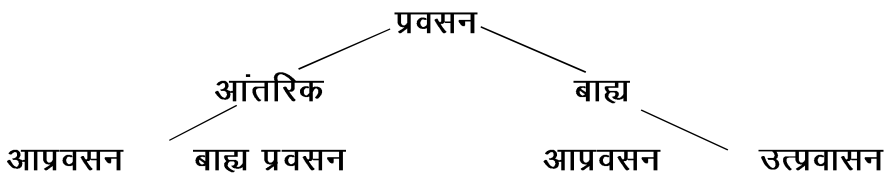

किसी देश में आंतरिक प्रवसन की जानकारी के तीन महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राष्ट्रीय जनगणना, जनसंया रजिस्टर और नमूना सर्वेक्षण हैं। भारत में आन्तरिक प्रवसन पर आंकड़ों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राष्ट्रीय जनगणना और नमूना सर्वेक्षण है।

(ग) भारत में आंतरिक प्रवसन के रूपः सम्पूर्ण भारत में प्रवसन की जानकारी और इसके विभिन्न भागों की जानकारी जनगणना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हाल की जनगणना की गणना में बेहतर और अधिक विस्तृत प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रवसन के अध्ययनों में सुधार करने के लिए उपयोगी हैं। 1872 की भारतीय जनगणना जन्म स्थान के आधार पर प्रवसन के आँकड़ों को बताती हैं। हालांकि 1961 में जन्म स्थान को ग्रामीण या शहरी के रूप में बाँटा गया था। इन प्रवसनों को स्थान के आधार पर चार वर्गों में बाँटा गया था। (i) जिले में की गई गण्ना, (ii) जिले के बाहर परन्तु राज्य की जनगणना के अन्दर, (iii) राज्य के बाहर की गणना (अन्तर राज्य) (iv) भारत के बाहर, 1971 की जनगणना में पिछले निवास के आधार पर प्रश्न पूछे गए। वही 1981 की जनगणा में प्रवसन के कारणों पर प्रश्न शामिल किये गये। भारत में प्रवासियों को चार प्रवसन वर्गों मं बाँटा गया था। अर्थात् ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी, शहरी से ग्रामीण। 1961 में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन को अधिक मान्यता प्राप्त हुई। समय बीतने के साथ ग्रामीण से शहरी और शहरी से शहरी प्रवसन के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। एक और महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि महिलाओं का अनुपात ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन में बहुत अधिक है जबकि अन्य तीन वर्गों में पुरूषों का अनुपात तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। यह केवल इसलिए हैं क्योंकि महिलायें शादी करने पर अपना निवास बदल लेती हैं और बगल के जिलें में उनकी शादी हो जाती है।

शोधकर्त्ताओं ने समय–समय पर स्थान, समय, मात्रा और दिशा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रवसन का सुझाव दिया है। स्थान के आधार पर, आन्तरिक प्रवसन की चार महत्वपूर्ण वर्ग हैं, ये है।

(i) ग्रामीण से ग्रामीण

(ii) ग्रामीण से शहरी

(iii) शहरी से शहरी

(iv) शहरी से ग्रामीण

भारतीय जनगणना इन वर्गों को विस्तृत अध्ययन प्रदान करता है, हालाँकि, कुछ विकसित और उच्च्य शहरीकृत देशों में भी शहरों से उपनगरों की ओर पलायन हुये हैं।

विशेषताएँ

प्रवसन और प्रवासियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषतायें होती हैं एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रवासियों की उम्र की चयन करने से सम्बन्धित है। आमतौर पर युवा अधिक गतिशील होते हैं।

अधिकांश प्रवसन अध्ययन में विशेष रूप से विकासशील देशों में पाया गया है कि ग्रामीण शहरी प्रवासी मुख्य रूप से युवा वयस्क है और अपेक्षाकृत उनसे बेहतर शिक्षित है, जो मूल स्थान पर ही रहते हैं। यह स्पष्ट है कि रोजगार के लिए पलायन ज्यादातर युवा उम्र में होता है। इसके अलावा शादी के लिए अहम महिला प्रवसन का एक बड़ा हिस्सा भी युवा वयस्क उम्र में होता है। इस प्रकार लोगों की प्रवृति तब होती है जब वे अपनी किशोरावस्था और अन्य उम्र के अलावा अपने मध्य उम्र में (15—35) वर्ष के बीच होते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रवासी वहीं जाता है, जहाँ उसे अच्छा लगता है। वह अपने रिश्तेदारों, सगे—सम्बन्धियों के पास रहना चाहता है तथा उनक अनुभव से जानकारी इकट्ठा करके अनजान जगह पर जाता है ताकि उसे समस्याओं से सामना ना करना पड़े। इस तरह की प्रक्रिया को श्रृंखलित (चेन) प्रवसन कहा जाता है। कुछ मामलों में प्रवासियों के पास न केवल एक ही गंतव्य स्थान होता है, बल्कि एक ही व्यवसाय ही रहता है। उदाहरण के लिए, अनुसंधान से पता चलता है कि जयपुर के कुछ होटलों में लगभग सभी श्रमिक कुमाऊँ के एक विशेष उप—क्षेत्र ये हैं। पंजाब और हरियाणा में खेतिहर मजदूर मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। (ESO 16, Block 2, Unit 5)

बोध प्रश्न I

1) निम्न प्रकार के प्रवसन को वर्गीकृत करें।

   (a) केरल से खाड़ी देशों का

   (b) केरल से दिल्ली तक

   (c) बिहार से वेस्ट इंडीज तक

   (d) बांग्लादेश से भारत में लोगों का आगमन

   (e) कर्नाटक से राजस्थान के लोगों का आगमन

12.3 प्रवसन और विकास

प्रवसन अस्थायी भी हो सकता है, जहाँ प्रवासी अपने भविष्य में अपने मूल स्थान पर लौटने की इच्छा रखता है। कई बार प्रवासी ने इस बात का विकल्पों का निर्णय नही लिया है। भारत कुशल श्रम प्रवसन का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। भारतीय पेशेवरों का मुख्य स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लेंड (यूनाइटेड किंगडम) और कई अन्य स्थानों की ओर हैं। मैक्सिको से 11.4 मिलियन प्रवासियों का पलायन हुआ हैं। दूसरे नम्बर पर भारत हैं यहाँ से 2010 में 11.4 मिनियन प्रवासी बाहर गये है। भारतीय छात्रों का पलायन बहुत संख्या में हुआ है। भारत से 5.5 प्रतिशत (2.8 मिलियन) छात्रों का पलायन हुआ है। चीन से (421,100) छात्रों का पलायन हुआ है उसके बाद भारत (153,300) का स्थान है।

भुगतान की जाने वाली राशि प्रवसन का मुख्य लाभ है इससे देश विदेशी मुद्रा कमाता है। और इस मुद्रा को बचाकर रखता है। 30 वर्षों में भेजी गई रकम से भारत के व्यापार घाटे के संतुलन को बहुत कम कर दिया गया है। और इस प्रकार चालू खाते के घाटे को कम कर दिया है। भेजी गई रकम का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर काफी प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा चौकाने वाला मामला केरल का है, जहाँ 1990 के दशक में भेजी गई रकम राज्य की आय का 21ः हिस्सा बन गई थी। उससे धन में वृद्धि हुई है भारत केरल की बात करें तो प्रति व्यक्ति खपत 1978—79 तक राष्ट्रीय आय औसत से कम थी। 1999—2000 तक केरल

में उपभोक्ता व्यय बढ़कर राष्ट्रीय औसत से 41ः अधिक था। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवसन की जनसांख्यिकी संरचनाओं, व्यय प्रतिमानों, सामाजिक संरचनाओं और गरीबी के स्तरों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। हाल के दिनों में, मध्य पूर्व में प्रवसन से अचानक वृद्धि से हमारे देश में बाहर के देशों से आने वाले विदेशी धन जो हैं, बहुत बढ़ोत्तरी हुई हैं। यह पाया गया है कि केरल जैसे छोटे राज्यों में भेजी गई रकम 4,000 मिलियन रूपये थी। खाड़ी देशों से भेजी गई रकम से लोगों ने घरों की निर्माण और कृषि भूमि की खरीद, और यहाँ तक कि व्यापार और उद्योग में भी निवेश हुआ है। इससे परिवार में खपत की आय में वृद्धि हुई है। बच्चों की पढ़ाई पर भी पैसा खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर पुरूषों के पलायन से मजदूरों की कमी हुई है और मजदूरी बढ़ गई है।

औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरियाँ बढ़ने लगी हैं। उद्योग लोगों को शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा है। इस कारण परिवार का विघठन होने लगा हैं लोग व्यक्तिगत विकास के लिए सोच रहे हैं। ये लोग इस बात का हवाला देते हैं कि उद्योगों के कारण लोगों को अलग–अलग रहना पड़ रहा है। (C.F. de Haen and Royaly, 2002) इसके अलावा, कई अध्ययनों से पता चलता है कि प्रवसन की प्रक्रिया सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित हो रही है। इसके परिणाम महिलाओं और पुरूषों, भिन्न समूहो और गंतव्यों के लिये भिन्न है। भारत की प्रवसन की प्रवृति अलग–अलग होने के कारण प्रवसन के कारणों मे बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रवसन विकास के पैटर्न और सामाजिक संरचना दोनों से प्रभावित होती है। (NCRL 1991) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने मौसमी प्रवसन पर ध्यान केंद्रित किया जो इस बात को बताता है कि असमान विकास मौसमी प्रवसन का मुख्य कारण था।

अंतरक्षेत्रीय असमानता के साथ–साथ, विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों और भारत की स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई विकास नीति के बीच असमानता ने मौसमी प्रवसन की प्रक्रिया को तेज किया है। आदिवासी क्षेत्र में घुसपैठ बाहरी लोगों का आना, लोगों का बसाबट, विस्थापन और पेड़ों की कटाई ये भी असमान विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

12.3.1 कारण और परिणाम

स्वैच्छिक प्रवसन का मुख्य कारण आर्थिक है। विकासशील देशों से लोगों का पलायन कई कारणों से हो रहा है, उसमें से कृषि द्वारा अर्जित आय, बेरोजगारी और बेरोजगारी की कमी प्रमुख है जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। गाँवों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे अध्ययन बताते हैं कि प्रवासी शहरों में धन कमाने के लिए जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। यह आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रवसन के लिए सही है। प्रवसन के दो मुख्य कारण पहला ''पुश कारक'' दूसरा है ''पूल कारक''। इन कारणों से पता चलता है कि लोग शहरों की आकर्षक जीवनशैली से भी प्रभावित होकर पलायन कर रहे हैं। इन्हीं कारणों की चर्चा नीचे की गई है।

1. **दबाबी (पुश) कारक :** दबाबी कारण वे हैं, जो किसी व्यक्ति को अपना घर छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर जाने को मजबूर करता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे गरीबी, कम उत्पादकता, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसके अलावा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहरों में प्रवासी बन धन कमाने जाते हैं। ILO अध्ययन बताता है कि अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में आय बहुत कम हैं, जिसके कारण ग्रामीण व्यक्ति गाँवों

को छोड़कर शहरों में पलायन कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के लिये प्रति व्यक्ति भूमि का हिस्सा कम हो गया है। इससे गाँवों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी है, जिसके कारण गाँव के लोग शहरों की तरफ धकेले जा रहे हैं। गाँव में खेती के अलावा और कोई आय का साधन ना होना भी पलायन का एक कारण है। संयुक्त परिवार और उत्तराधिकार के नियम में जमीनों का बंटवारा कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, जिसके कारण सम्पत्ति ना होने के कारण पलायन हो रहा है। पट्टे पर ली गई जमीन से परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है। पट्टे की जमीन से परिवार का गुजारा मुश्किल है, जिसके कारण लोग शहरों में जा रहे हैं।

2. **खिचाव/आकर्षण कारक (पुल फैक्टर)** : यह कारण बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च मजदूरी, बेहतर काम करने की स्थिति और जीवन की बेहतर सुविधाओं के तरफ प्रवासियों का ध्यान आकर्षित करता है। आमतौर पर शहरों में लोग तब जाते हैं, जब वहाँ का उद्योग, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होने लगता है। हाल के वर्षों में, भारत के साथ–साथ अन्य विकासशील देशों से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अब मध्य–पूर्व तक लोगों का पलायन हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं उच्च वेतन दर बेहतर रोजगार के अवसरों, उच्च मजदूरी और जीवन की बेहतर सुविधाओं से लेकर रोजगार चुनने की आजादी और उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की सम्भावना जैसे विभिन्न प्रकार के कारण हैं। कभी–कभी प्रवासी बेहतर सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों से भी प्रभावित होकर शहरों में पलायन करते हैं। हालांकि पुल कारक न केवल ग्रामीण–शहरी प्रवसन में होता है, बल्कि आन्तरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन में भी देखने को मिलता है।

3. **पश्चकर्ष कारक (पुश बैक फैक्टर)** : भारत में और कुछ अन्य विकासशील देशों में भी, एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो प्रवसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है ''पुश बैक'' यानि पश्चकर्ष यानि पीछे खीचने वाला आशीष बास के अनुसार भारत में शहरों में श्रम बल बहुत बड़ा है और शहरों में बेरोजगारी की दर उच्च है और यहाँ पर भी बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है ये सभी कारक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, वह इसे ''पुश बैक फैक्टर'' कहते हैं। वह आगे कहते हैं कि अगर शहरी क्षेत्रों में नवीन रोजगार अवसर तैयार होते हैं तो रोजगार के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र में रहने वाले आंशिक रूप से रोजगार वाले श्रमिक रोजगार लेंगे वशर्तें किसी विशेष कौशल की जरूरत न हो।

प्रवसन के कारण मजदूरों की संख्या बढ़ने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरी ओर जिस स्थान से प्रवासी दूसरे स्थान पर जाते हैं। वहाँ की विकास की गति को तेज कर देते हैं, जिसके कारण कुशल कारीगर रोजगार के कारण गाँव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। प्रवासी भेजने वाले स्थान और प्रवासी जहाँ जाते हैं वहाँ के विकास में असमानता दिखाई देती है। कई लोगों का गाँव छोड़कर शहरों में जाना गाँव के लिए नया अवसर प्रदान करता है, इससे गाँव में रोजगार के साधन में प्रतियोगिता कम दिखाई देती है। प्रवासी जहाँ जाते हैं उस स्थान की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है क्योंकि पढ़े लिखे एवं कुशल कारीगर गाँव से निकलकर शहरों में चले जाते हैं। इससे गाँव में जहाँ से प्रवासी गये हैं, वहाँ पर बचे हुये लोग आसानी से कमाई कर पाते हैं और अपने लोगों का पेट भर पाते हैं। यह भी प्रवसन का बेहतरीन रूप है। प्रवासी भेजने वाले स्थान पर आर्थिक लाभ पहुँचने लगता है क्योंकि

बाहर से प्रवासी कमाकर अपने गाँवों में भेजते हैं। जिससे लोग घर बनवाते हैं तथा बेहतर जीवन जीते हैं। भारतीय गाँवों में शहरों से पैसा आने से गाँवों में विकास का काम शुरू होने लगा है। अधिकांश प्रवासी एकल पुरूष होते हैं, जो शहरी रोजगार हासिल करने के बाद आमतौर पर अपनी आय का एक हिस्सा अपने गाँवों के घरों में भेजते हैं ताकि उनके परिवारों की अल्प आय को पूरा किया जा सके। साथ ही यह परिवार की बचत को भी प्रभावित करता है क्योंकि कभी–कभी प्रवासी अपने साथ पैसे बचाकर गाँव ले जाते हैं। कुछ पैसे प्रवासी अपनी यात्रा और नई जगह पर जाने के बाद खर्चें के लिए भी बचाते हैं। यह भी पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों की वापसी 6.5 प्रतिशत (1993–94) से बढ़कर 12 प्रतिशत (2007–08) हो गई थी। जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई थी। एक ही समय में ऐसा देखने को मिलता था। हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरूषों की वापसी गांवों और शहरों में अधिक हुई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में यह पुरूषों के लिए 24 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 11 प्रतिशत हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और पुरूषों में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई देता हैं। (49th and 64th NSSO)

बोध प्रश्न II

टिप्पणी: अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) सही उत्तर पर निशान लगायें।

(i) ग्रामीण के बाहर प्रवसन के लिए महत्त्पूर्ण कारणों में से एक है:

(a) जनसंख्या का बढ़ता घनत्व

(b) ग्रामीण गरीबी

(c) ग्रामीण बेरोजगारी

(d) उपरोक्त सभी

(ii) प्रवसन के लिए प्रवासियों को आकर्षित करने वाले कारक निम्नानुसार हैं।

(a) पुश कारक

(b) पुल कारक

(c) पुश बैक कारक

(d) उपरोक्त सभी

(iii) निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रवसन नहीं:

(a) ग्रामीण से ग्रामीण

(b) ग्रामीण से शहरी

(c) शहरी से शहरी

(d) इनमें से कोई नहीं

2) प्रवसन की प्रक्रिया से मजदूर भेजने वाले क्षेत्रों को कैसे लाभ होता है?

....

....

....

....

....

....

12.4 विस्थापन

विस्थापन का सम्बन्ध भौतिक स्थान परिवर्तन से बढ़ कर कुछ होता है। इसका अर्थ जड़ से उखड़ जाना होता है। यह जीवन के बुरे अनुभवों के कारण जीवन के सामाजिक आर्थिक जालों से विच्छेन होता है। विस्थापन से लोगों के अस्तित्व और पहचान को खतरा होता हैं। विस्थापन फैलाव की एक प्रक्रिया हैं। विस्थापित जनसंख्या अचानक अपने घर समूहों में छोड़ देते हैं, इसके पीछे भूकम्प, बाढ़ और संघर्ष कोई भी कारण होता है। इन लोगों का घर वापस आने का भी पूरा इरादा रहता है। विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप दो प्रकार के विस्थापन हैः

1) **प्रत्यक्ष विस्थापनः** यह उनके स्थानों से लोगों के वास्तविक विस्थापन को दर्शाता है।

2) **अप्रत्यक्ष विस्थापनः** यह आजीविकता के नुकसान के कारण होता है। यह लोगों को उनके घरों से धकेलकर बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। इस बात का ज्ञान करवाता है, कैसे जीविका के लिए पैसे कमाये जाये। यह विस्थापित लोग गरीब होने लगते हैं। विकास की नींव सामाजिक मूल्यों को दबाकर पूरी की जाती हैं। ताकि विकास की परियोजना, नीतियों एवं प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके।

12.4.1 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

आन्तरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति वह होते हैं, जो अपने घर से तो दूर चले जाते हैं, परन्तु अपनी देश की सीमा में ही रहते हैं। इनकी गणना शरणार्थी के रूप में होती है, परन्तु कानूनी तौर पर शरणार्थी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। 2010 में आन्तरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को जिनकी संख्या 50ः थी, उन्हें शहरों में लाया गया। कुछ तो रह गये परन्तु कुछ को गांवों को लौटने की उम्मीद बहुत कम थी। 2013 के अध्ययन में पाया गया कि इन विस्थापित लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और शासन द्वारा इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

क्योंकि इन संस्थाओं ने केवल गाँवों के विस्थापित व्यक्तियों कैम्प पर ध्यान पुराने समय से ही दिया गया था यदि कारणों ये वंचित हो गये है। अध्ययन बताते हैं कि विस्थापित व्यक्तियों और मेजबान समाजों के प्रति दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत हैं। मानव अधिकार, विकास की योजनाओं के अधिकारियों, स्थानीय निकाय एवं राष्ट्रीय सरकारी संस्थाओं से सलाह लेकर ही विस्थापन होना चाहिए ताकि विस्थापित समाज को बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ उनकी सुरक्षा भी किया जा सकें।

12.4.2 विस्थापित और विकास

आंतरिक विस्थापन का मुद्दा और भी प्रमुख हो गया है क्योंकि यह समझा जा चुका है कि युद्ध ग्रस्त समाजों में शान्ति और पुननिर्माण विस्थापितों के प्रभावी पुर्नेकीकरण पर निर्भर थे। गृहयुद्ध से तबाह हुए देशों में से कई जैसे कि मौजम्बिक, अंगोला और लाइबेरिया पुनःएकीकरण आबादी का एक तिहाई से तीन–चौथाई हिस्सा जबरन उखाड़ फेंका गया था। इस प्रकार आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आई.डी. पीस) की वापसी और पुनर्बलन को ध्यान में रखें बिना पुननिर्माण और विकास के बारे में बात करना असंभव हो गया।

घरेलू युद्ध के चलते सभी देशों में नस्लीय, जातीय, भाषाई या धार्मिक आधार पर भेदभाव शुरू हो जाता है तो उनका हल सरल नहीं होता। जब राज्यों को एक प्रजातीय समूह के साथ एकाधिकार या पहचान दी जाती है या दूसरों के बहिष्करण या हाशिए पर रखा जाता है, तो विस्थापित व्यक्ति आसानी से राज्य के चुंगल में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, बुरंडी में तुत्सी प्रभुत्व वाली सेना आंतरिक रूप से विस्थापित हेतु व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। सूडान में, उत्तर के मुस्लिम सरकार, सीधे तौर पर गैर–अरब, दक्षिण के गैर–मुस्लिम आबादी को सताने में लगे हुए हैं। जिनमें से 4 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं।

विकास के कारणों जैसे बड़े–बड़े बाधों का निर्माण, खनन, बिजली की परियोजनायें और प्राकृतिक संरक्षण के कार्यों के कारण प्रवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया को विश्व की प्रगति का एक रूप समझा जाता है। मुद्दा यह है कि कौन सी विकास की संस्थायें हो जो ऐसा काम कर रही हैं, जिनके कारण लोगों का विस्थापित हो रहा है। जनजाति, चरवाहे और कृषि का काम करने वाले लोग विस्थापन के कारण प्रभावित होते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ''क्या'' और कैसे लोग विस्थापित होते हैं, बल्कि यह जानना और भी अधिक जरूरी है कि ''क्यों'' और ''किसको'' विस्थापन के द्वारा गरीब लोगों को उनकें घरो से गांवों से धकेल दिया जाता है। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए केवल एक ही विकल्प होता है। कि अपने बसावट को छोड़कर उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। स्थानीय निवासी संसाधनों पर अपनी कमान खो देते हैं। विस्थापित त्रस्त व्यक्ति पूछ रहे हैं कि ये राष्ट्र किसका है? किसकी भलाई या सेवा की जा रही है। क्या यह योजनाकारों, प्रशासकों, कार्यान्वन एजेंसियों या समाज के उच्च्य मध्यम वर्ग या हाशिये के वर्गों की भलाई के लिए हैं? (फर्नाडीज, 1997)। नियोजक और प्रशासक विस्थापित व्यक्तियों, गरीबों और हाशिये के लोगों की दुर्लब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते है और चालाकी से उसे संचालित करते है (DPS) और आंकड़ों के फेर–बदल करके इनकी संख्या कम बताई जाती है। उनके साथ उदासीनता का व्यवहार किया जाता है। इन्हें न्यूनतम नकद मुआवजा दिया जाता हैं। वो भी अगर दिया जाये तो उन्हें शायद ही कभी भूमि की सुरक्षा या वैकल्पिक स्थान दिया जाता है। अक्सर एक नई जीवन शैली की स्थापना की दर्दनाक पीड़ा के बाद उन्हें फिर से कहा जाता हैं कि नई परियोजना के लिए स्थान देना पड़ेगा। तात्कालिक आर्थिक नुकसान के अलावा विस्थापन सामाजिक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को खराब कर देती हैं। लोगों का विस्थापन केवल शारीरिक विस्थापन ही नहीं बल्कि इन्हें अपने सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवहारों से भी विस्थापित कर देते हैं जो भूमि को छोड़ने से भी बड़ी दर्द देने वाली घटना हैं। वे अपने सामाजिक व्यवहारों से नियन्त्रण खो देते हैं और परिणामस्वरूप उनके बीच सामाजिक तनाव बढ़ने लगता है। (फर्नाडीज, 1997)।

आदिवासियों के लिए भूमि पवित्र होती हैं क्योंकि उनके पास एकमात्र साधन है जो उनके निर्वाह के लिए हैं। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं,

मुख्य रूप से भूमि से सम्बन्धित कार्य और कृषि उत्पादन पर निर्भर हैं। इस प्रकार उनके लिए आजीविका और सामाजिक–आर्थिक संबंधों का आधार है। अपनी भूमि से विस्थापन के कारण विस्थापित लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है। ये लोग विकास प्रक्रिया में किसी परामर्श या भागीदारी के बिना विस्थापित होते हैं। इसके अलावा वे इन्हें विस्थापित करने वाली विकास परियोजनाओं के लाभ से वंचित रखते हैं।

विस्थापित लोगों में 4 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है और इनमें महिलायें सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसके अलावा, पुर्नवास अभी भी किसी भी विस्थापन योजना का अभिन्न अंग नहीं होता है।(Ibid:v)

आदिवासियों को उनकी भूमि से हटाकर विकास की धारणा विरोधाभासी हैं। सरकार इन लोगों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों से अवगत है इसी कारण से इन लोगों की आजीविका और भूमि की कमी इन्हें सताती रहती है। हालांकि ये जमीनें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, परन्मु इससे भूमिहीन कृषिक, वनवासी, किरायेदार और कारीगर आदि इन लोगों की ये जमीन अधिग्रहण करने के बाद इन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये हकदार नहीं है। फिर भी कुछ मुआवजा दिया जाता है।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणी: अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) विस्थापन क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

12.5 विकास, प्रवसन और विस्थापनः परस्पर सम्बन्ध

विकास, प्रवसन और विस्थापन एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। प्रवसन के द्वारा समुदाय का विकास तभी किया जा सकता है यदि वह समुदाय विस्थापन से आने वाले परिवर्तनों को अपना कर जी सकें। कई बार चर्चा की जाती है कि प्रवसन और विकास कैसे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसी सम्बन्ध में शरणार्थी और विकास की रणनीति का भी सम्बन्ध की तुलना की जाती है। इस बहस को मुख्य रूप से एक उत्तरी (यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका) परिप्रेक्ष्य के साथ विकसित किया गया हैं। जिसमें मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्वीकार किए जाने वाले विचारों का प्रतिनिधित्व हैं। उदाहरण के लिए, यह एक आम धारणा हैं कि मूल देशों के विकास के उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद प्रवसन में काफी कमी आ सकती हैं, हालांकि अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि प्रवसन और विकास के बीच संबंध बहुत अधिक जटिल है और विकास अक्सर प्रवसन को कम करने के बजाए बढ़ा देता हैं।

विस्थापन और प्रवसन के बीच एक अन्तर–संबंध हैं। प्रवसन कोई नई घटना नहीं हैं और अभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। जब से मानवता अस्तित्व में हैं तब से मनुष्य पलायन कर रहा हैं।

मौजूदा मानवविज्ञान और पुरातात्विक साहित्य बताते हैं कि प्रारंभिक मानव सुरक्षा, जीविका और स्थिरता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मानव जाति के इतिहास में विभिन्न कालों में वैदिक काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक और औपनिवेशिक काल से समकालीन समय तक भिन्न–भिन्न अंशों में पलायन हाता रहा हैं। इस समकालीन दुनिया में प्रवसन की घटना काफी सामान्य हो गयी है।

भारतीय आर्थिक और औद्योगिक विकास का इतिहास लोगों का विस्थापन कभी न खत्म होने वाली कहानी हैं। उपलब्ध रिपोर्ट बताते हैं कि कई लोगों को आंतरिक रूप से विकास के योजनाओं के कारण विस्थापित होना पड़ता हैं। हालांकि वे कुल आबादी का केवल आठ प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, विस्थापित में से 50 प्रतिशत आदिवासी व्यक्ति हैं। (HRW, January 2006). 1990 तक लगभग 85.39 लाख आदिवासी कथित तौर पर बांधों, बिजल परियोजनाओं, प्राकृतिक संरक्षण आदि जैसे औद्योगिकरण और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो गए थे, लेकिन उनका पुर्नवास और पुनर्निमाण हमेशा उदासीनता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए, आदिवासियों ने 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत आदिवासी है। लेकिन तथाकथित विकास परियोजनाओं (ACHR weekly review, December 2006) के परिणामस्वरूप कुल विस्थापित व्यक्तियों में से उनका प्रतिशत 55.1 है।

इस प्रकार विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया हैं, जहां गरीब वर्गों को उनके स्वयं के आवास से बाहर धकेल दिया जाता हैं। यह एक ऐसी स्थिति है, जहाँ हाशिए के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, और वे अपने गाँव या मूल स्थान से दूसरे जगह चले स्थानीय निवासी का संसाधनों से अधिकार खत्म हो जाता हैं। उनकी संख्या कम आंका जाता है। उनके साथ उदासीनता का व्यवहार किया जाता है और केवल न्यूनतम नकद मुआवजा दिया जाता है। उन्हें शायद ही कभी वैकल्पिक विकसित भूमि की सुरक्षा दी जाती है।

अक्सर एक नई जीवन शैली की स्थापना की दर्दनाक परिस्थिति के बाद उन्हें फिर से सूचित किया जाता है, उन्हें फिर से एक और परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। विस्थापन के कारण उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था पर असर पड़ता है। लोगों का शारीरिक विस्थापन की तुलना में सामाजिक, सांस्कृतिक का व्यवहार का विस्थापन बहुत दर्द प्रदान करता है। जो भूमि खोने की पीड़ा से कई अधिक पीड़ा देता है। वे सामाजिक नियन्त्रण के अपने पारंपरिक व्यवहार को खो देते हैं और परिणामस्वरूप उनके बीच सामाजिक तनाव बढ़ने लगता है। (फर्नाडीस, 1997)

70 प्रतिशत भारत की जनसंख्या जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं, भूमि पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार, उनके लिए भूमि आजीविका और सामाजिक आर्थिक संबंधों का आधार हैं। भूमि से विस्थापन से लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा बढ़ गया है। लोग विकास प्रक्रिया में किसी भी परामर्श या भागीदारी के बिना विस्थापित होते हैं। इसके अलावा, वे इन्हें विस्थापित करने वाली विकास परियोजनाओं के लाभ में उनको सही हिस्से से वंचित किया जाता है। विस्थापितों की एक बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है और महिलायें इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसके अलावा, पुर्नवास अभी भी किसी भी विस्थापन योजना का अभिन्न अंग नहीं है। (Ibid:v)

12.6 सारांश

इस इकाई में हमने प्रवसन की अवधारणा और इसके रूपों, प्रवास और विकास के साथ संबंध और इसके कारणों और परिणामों पर चर्चा की गई है। तब हमने विस्थापन और विकास के साथ इसके संबंधों पर चर्चा की गई हैं। इस इकाई के अंतिम खण्ड मे प्रवसन, विस्थापन और विकास के बीच संबंधों की चर्चा की गई है।

12.7 शब्दावली

औद्योगिकरण : एक कृषि समूह से औद्योगिक एक मानव समूह के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया।

पुनर्वास : एक नए निवास स्थान में विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहले की स्थिति की बहाली की प्रक्रिया।

प्रवसन : काफी समय तब आबादी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की प्रक्रिया ।

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Sinha and Ataullah, 1987 Migration. An Interdisciplinary Approach, Seema Publishers: Delhi

Premi, M.K. 1980. Urban Out Migration: A Study of its nature, causes and consequences, Sterling Publishers: New Delhi

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

(a) उत्प्रवासन

(b) बाल्य–देशांतरण

(c) आप्रवासन

(d) अंतः देशांतरण

बोध प्रश्न 2

(i) (d)

(ii) (b)

(iii) (d)

बोध प्रश्न 3

विस्तापन एक प्रकार से प्रवसन का स्वरूप है जिसमें व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरूद्ध जगह छोड़ना पड़ता है।

इकाई 13 आजीविका और स्थिरता*

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 आजीविका और स्थिरता : विकास के कार्यान्वन में

13.2.1 आजीविका और स्थिरता : अवधारणा

13.2.2 आजीविका दृष्टिकोण और स्थिरता

13.3 आजीविका के अवसर और मुद्दे : ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में

13.4 नीति प्राथमिकता के रूप में स्थिरता और आजीविका

13.5 सारांश

13.6 शब्दावली

13.7 कुछ उपयोगी पुस्तके

13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- विकास की प्रक्रिया में एक विषय के रूप में आजीविका पर चर्चा कर सकेंगे;
- विकास के संबंध में स्थिरता की समस्या का वर्णन कर सकेंगे;
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका और मुद्दों के विभिन्न अवसरों को जाँच सकेंगे;
- आजीविका और स्थिरता के संबंध में योजनाओं और नीति के साथ राज्य द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

विकास कार्यान्वन (डेवलपमेंट प्रिक्सिस) के मुद्दों पर इस खण्ड में जानेगें। हमने पिछली इकाई में पहले से ही विकास, प्रवासन और विस्थापन पर चर्चा की है। वर्तमान इकाई में, हम आजीविका और स्थिरता के मुद्दों को देखेंगे। आजीविका के मूलभूत/बुनियादी मुद्दों और अस्थिरता पर चर्चा किए बिना विकास पर बहस अधूरी है। निम्नलिखित उपभाग विभिन्न संबंधित पहलुओं को निर्दिष्ट करेंगे और वे कैसे विकास के मुद्दों में प्रासंगिक होंगे। इससे पहले कि हम आजीविका और स्थिरता की अवधारणाओं को देखें, पहले हम एक प्रक्रिया के रूप में विकास पर चर्चा करें।

एक समाज की संस्थागत और संगठनात्मक संरचना, जिसमें उसके दृष्टिकोण, मूल्य, शक्ति संरचना और परंपराएँ शामिल हैं, को सामाजिक प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। माइकल टोडारो (2015) ने परिभाषित किया है कि विकास केवल विशुद्ध रूप से एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें संपूर्ण आर्थिक और

*डा. उज्मा अजहर, स्वतंत्र शोधकर्त्ता द्वारा लिखित।

सामाजिक प्रणाली का पुर्नगठन और पुर्नसंयोजन शामिल है। यह तीन महत्वपूर्ण पहलुओं साथ सभी मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया हैः

1) लोगों के जीवन स्तर, अर्थात् आय और खपत, भोजन के स्तर, चिकित्सा सेवा, शिक्षा को प्रासंगिक विकास प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊपर उठाना।

2) सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों और संसाधनों की स्थापना के माध्यम से लोगों के आत्म सम्मान के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना जो मानवीय गरीमा और सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

3) अपनी पसंद के चरे/प्रभावित करने वाली वस्तुओं की सीमा बढ़ाकर लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ाना, उदाहरण के लिए सामान और सेवाओं की किस्में।

1950 और 1960 के दशक में विकास की बहस विकास के आर्थिक पहलू पर केंद्रित थी। देश का विकास जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद)/जीएनपी (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) के माध्यम से मापा जाता था। उच्च जीडीपीरुजीएनपी का मतलब अपने नागरिकों के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय है। पहला संयुक्त राज्य विकास दशक दिसंबर 1961 में महासभा द्वारा शुरू किया गया था और यह 1970 में समाप्त हुआ, जिसने अपने सभी सदस्य राज्यों को विकासशील देशों में आत्मनिर्भर आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के आवश्यक उपायों के लिए समर्थन जुटाने के अपने प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया।

इस प्रकार, विकास की अधिकांश चिंता लोगों की परिस्थितियों में दृश्यमान श्रेणी और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए है। यहाँ निहितार्थ यह है कि विकास उच्च 'क्षमता, समानता, सशक्तिकरण, स्थिरता और अन्योन्याश्रयता देता है। (ब्रायट और व्हाइट, 1982) 1980 के दशक में स्थिरता के पहलू पर ध्यान केंद्रित विकास पर बड़ी बहस के रूप में अनियंत्रित आर्थिक वृद्धि के प्रभावों के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएँ स्पष्ट हो गई।

13.2 आजीविका और स्थिरता : विकास प्रक्रिया में मुद्दे

अब हम आजीविका और स्थिरता की अवधारणाओं को विस्तार से देखते हैं, उनका अर्थ और विकास के बड़े मुद्दों के साथ कैसे जुड़े हैं।

13.2.1 आजीविका और स्थिरता : अवधारणा

आजीविका को समाज में जीवन को बनाए रखने के लिए कमाई के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लोग अपने जीवन और अपने परिवार का पालन करने के लिए विभिन्न कौशल अपनाते हैं। यह एक आय के साथ—साथ क्षमता अर्जित करने को संदर्भित करता है। जो दोनों हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह आजीविका और एक साधन को सक्षम बनाता है, क्योंकि यह आजीविका प्राप्त करने की क्षमता के सुधार और सुधार का समर्थन करता है। एक आजीविका प्रणाली में क्षमताओं, परिसंपत्तियों (सामग्री और सामाजिक संसाधनों दोनों सहित) और जीने के साधनों के लिए आवश्यक गतिविधियाँ शामिल है। एक आजीविका टिकाऊ/स्थिर होती है जब यह प्राकृतिक संसाधनों के आधार को कम नहीं करते हुए तनाव और झटके उबर सकता है और अपनी क्षमताओं और परिसंपत्तियों को भविष्य में भी बनाए रखेगा। "(कार्नी, 1982, 2) आजीविका एक गतिविधि का उल्लेख नहीं करती है क्योंकि इसमें "जटिल, प्रासंगिक, विविध और गतिशील रणनीतियाँ शामिल है, जो परिवारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की गई हैं।" (गेलार्ड एट अल 2009, 121)।

आजीविका समाज में रहने के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना है, जिसमें मूर्त संपत्ति (उदाहरण के लिए खाद्य भंडार, मूल्यवान सोना, आभूषण नकदी की बचत) और संसाधन (उदाहरण भूमि, पानी, पेड़, पशुधन, कृषि उपकरण) के साथ–साथ अमूर्त संपत्ति शामिल हो सकती है। जैसे दावे (यानी अपील या माँगे जो सामग्री नैतिक या अन्य व्यावहारिक सहायता के लिए की जा सकती हैं) और अवसर तक पहुँच (सूचना / सामग्री / प्रौद्योगिकी / रोजगार / भोजन / आय प्राप्त करने के लिए संसाधन / स्टोर / सेवा का उपयोग करने के लिए)

शब्द "टिकाउऊ / स्थिरता" विकास के अनुसार 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के बाद लोकप्रिय उपयोग में आया, जिसे ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट (या ब्रुन्डलैंड कमीशन) के रूप में जाना जाता है, यह रिपोर्ट काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और पारिस्थितिक हितों की प्रतिक्रिया और उनकी आशंकाओं के जवाब में थी। इसने सतत विकास को 'विकास क रूप में परिभाषित किया जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौति किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।' (डब्ल्यु सी ई डी 1987, पी. 43)

स्थिरता का तात्पर्य दीर्घकालिक आधार पर संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि या रखरखाव से है। एकल गृहस्थी को कई तरीकों से स्थायी आजीविका हासिल करने में सक्षम बनाया जा सकता है:

a) भूमि / पशुधन जैसी संपत्ति / परिसंपत्तियों के स्वामित्व के माध्यम से;

b) चराई, मछली पकड़ने, शिकार और इकट्ठा करने के अधिकार;

c) पर्याप्त पारिश्रमिक के साथ स्थिर रोज़गार के माध्यम से; या

d) गतिविधियों के विभिन्न प्रदर्शनों के माध्य से ।

1995 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (सीएसडी) द्वारा बनाए गए सतत विकास के सामाजिक संकेतकों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है: (i) गरीबी, (ii) शासन, (iii) स्वास्थ्य, (iv) शिक्षा, (v) जनसांखिकी।

बोध प्रश्न 1

1) आजीविका को परिभाषित करें।

....

....

....

....

....

....

2) स्थिरता क्या है?

....

....

....

....

....

....

3) एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में विकास की व्याख्या करें।

....

....

....

....

....

....

13.2.2 आजीविका दृष्टिकोण और स्थिरता

बुनियादी/मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक और भोजन और भोजन और नकदी के प्रवाह को उपलब्धता आजीविका की अनिवार्यता को दर्शाती है। दीर्घकालिक आधार पर संसाधन उत्पादकता के रखरखाव या वृद्धि का मतलब एक स्थायी आजीविका होगा। एक परिवार द्वारा स्थायी आजीविका को कई तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है: भूमि/पशुधन/पेड़ों का स्वामित्व; चराई/मछली पकड़ने/शिकार करने और इकट्ठा करने का अधिकार; पर्याप्त पारिरमिक के साथ स्थिर रोजगार के माध्यम से; या गतिविधियों के विभिन्न प्रदर्शनों से। आजीविका स्थिरता की परिभाषा किसी भी तरह प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा के तनाव और झटके से बचने की क्षमता या अधिक आमतौर पर झेलने और इससे उबरने के शामिल करता है।

विभिन्न क्षेत्रों पर कई शोध अध्ययन, निर्दिष्ट करते हैं कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियों ने वास्तव में पर्यावरणीय परिस्थितियों और इन परिस्थितियों क मानव समायोजन के प्रभावों को समय के साथ–साथ उनकी आजीविका में प्रतिबिंबित किया। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण:

i) पैटर्न आंदोलन या मानव बस्तियों से और के लिए स्थानांतरण;

ii) गतिहीन (कृषि/बसे) संस्कृतियों का गठन

iii) जनसंख्या के आकार में परिवर्तन

iv) विभिन्न मौसमों के अनुसार गतिविधियों का निर्धारण

v) बड़ी बाजादी वाले समाजों के कृषि में परिवर्तन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जीवन शैली को बदलते परिदृश्य के अनुकूल बनाया।

समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अध्ययनों में, 'आजीविका' हमेंशा समाज का एक आवश्यक घटक रहा है। 1940 के दशक की शुरूआत में, इवांस–प्रिचार्ड, सूडान (इवांस प्रिचार्ड, 1940) में नूअर जनजाति के आजीविका कमाने के तरीकों का मेकिंग एलिविंग में

करते है। कार्ल पोलनी ने अपने मरणोपरांत पुस्तक 'दलाइवलहुिड ऑफ मैन' (1977) के माध्यम से, आजीविका की अवधारणा को अर्थव्यवस्था को सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से सन्निहित (एम्बेडेड) मानते हुए अधिक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दिया, जो मुख्यधारा के अर्थशास्त्र के विपरीत, केवल व्यक्तिगत अधिकतम व्यवहार से संबंधित है।

आजीविका अध्ययन को नीति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो कि उन व्यवस्थाओं में अवसरों और बाधाओं को लक्षित करते हैं, जो गरीबों को प्रभावी आजीविका रणनीतियों के आयोजन से रोकते हैं या सक्षम बनाते हैं। प्रभावशीलता गरीबों के लिए अधिक कल्याण और अधिक स्थिरता और भेद्यता की ओर ले जाएगी।

उदाहरण के लिए, गुजरात के ग्रामीण भाग में शिल्प महिलाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए और अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के लिए, सेवा (स्वरोजगार महिला संगठन, 1972 में इला भट्ट स्थापित संगठन, गरीब महिलाओं के स्वरोजगार के लिए) 'आजीविका वित्त' की रणनीति को अपनाया। सेवा ने क्षमता निर्माण, पूँजी निर्माण और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग किया क्योंकि यह महिलाओं के लिए आजीविका का एकमात्र साधन था, उन्होंने महिलाओं को आत्मस्थिर और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उत्पादन सह–प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए।

बोध प्रश्न 2

1) आजीविका स्थिरता क्या है?

....

....

....

....

....

....

13.3 आजीविका के अवसर और मुद्देः ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में

आइए हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध आजीविका के अवसरों और उन अवसरों के संबंध में स्थिरता के मुद्दों को देखें।

कृषि : भारत में अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अपत्यक्ष रूप से आदिम कृषि प्रथाओं पर निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण भारत में 60% से अधिक निर्वाह कृषि में शामिल हैं। कृषि संपत्तियों में छोटे निवेश और कृषि प्रौद्योगिकी के लिए कम पहुँच और राज्य या निजी क्षेत्र की मशीनरी से प्रोत्साहन (इनपुट) की कमी के कारण कृषि में ग्रामीण जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद किसानों को कम आय मिलती है। और चूँकि प्रत्येक परिवार के लिए उपलब्ध भूमि उतनी ही रही है और परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उन सभी का अकेले कृषि के माध्यम से समथ्रन करना मुश्किल हो गया है। नौकरी की तलाश में कस्बों और शहरों में प्रवास/पलायन एक वास्तविकता है, लेकिन ये भी

हमेशा आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि इनमें योग्यता की कमी होती है और फिर शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं।

पशुधन : भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पशुधन एक आर्थिक संपत्ति है, और गरीबों के लिए निवेश और बीमा का प्रतीक है। यद्यपि उत्पादों (जैसे दूध, अंडे) या सेवाओं (जैसे काम, परिवहन) या स्वयं जीवित पशुओं को घरेलू खपत और/या नियमित रूप से नकद आय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पशुधन को भी इस घटना में बेचा जा सकता है जब एक घर एक प्रमुख व्यय या अप्रत्याशित घटना का सामना करता है।

वन/जंगल : ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अभी भी गैर–वाणिज्यिक ईंधन लकड़ी और पशु अपशिष्ट है। महिलाएँ अक्सर ईंधन की लकड़ी की तलाश में वन क्षेत्रों में जाती हैं। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी जनसंख्या का वनों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है क्योंकि वे पूरे वर्ष अपनी निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। भारत के आदिवासी समुदाय भी जंगलों के साथ तालमेल संबंध साझा करते हैं, वनों की धार्मिक मान्यता और आभारी मान्यता है क्योंकि उनकी अर्थव्यवथा, संस्कृति और परंपरा जंगलों से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में, कई वन संबंधी कानूनों की शुरूआत ने सरकार को उपयुक्त वन भूमि का लाभ उठाने के लिए, संरक्षण प्रोत्साहन करने में सक्षम बनाया है, और वन संसाधनों का उपयोग करने से वनवासियों को हतोत्साहित किया। इससे वनवासी क्रमबद्ध रूप से हाशिए पर चले गये क्योंकि वे वनों का उपयोग करने से वंचित हो गए, जिससे गंभीर विस्थापन हुआ और अत्यधिक गरीबी पैदा हुई। आदिवासियों द्वारा सामाजिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप दिसंबर 2006 में वन अधिकार अधिनियम (एफ आर ए) पारित किया गया और जनवरी 2008 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम अन्य सभी वन और वन्यजीवों से संबंधित कानूनो पर पूर्वता रखता है, जिससे वन आश्रित समुदायों को वनों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। यह वनाच्छादित परिदृश्यों में खेती योग्य भूमि की अनुमति देता है; घरों के लिए सुखी और गिरी पत्तो (गैर–विनाशकारी तरीकों से) एकत्र करना और बेचने के लिये आयुर्वेदिक पौधे एकत्र करना।

प्रवसन स्थानान्तरण : वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर अधिकांश लोगों को कई ग्रामीण गांवों में साल भर काम नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में, जबकि कुछ निवासी अन्य आजीविका रणनीतियों पर निर्भर करते हैं जैसे कि गांवों के भीतर श्रम रोजगार, और वन–आधारित गतिविधियाँ, कुछ निवासी कृषि कार्यों का मौसम न होता है तब (ऑफ सीजन के दौरान) पलायन करते हैं।

उद्यम : ग्रामीण क्षेत्रों में, कई घरों में आजीविका गतिविधियों, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की विविधता है, जो घरों को अतिरिक्त आय और रोजगार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, बस्तर (छत्तीसगढ़) में, घरों का एक छोटा हिस्सा (16%) कथित तौर पर एक उद्यम है, मुख्य रूप से स्थानीय शराब बनाना और छोटी दुकानें (दीप्ति के सी और समिक 2015) अधिकतर व्यवसायी अपने उत्पाद गांव के स्थानीय बाजारों में बचते थे। बिचौलियों, धन की कमी और कच्चा माल कुछ ऐसी समस्याऐं थीं जिनका सामना इन क्षेत्रों में ज्यादातर उद्यमियों को करना पड़ता था। सिरोही (राजस्थान) में जहाँ बहुत से उद्यमी पशुपालन में लगे है उनकी सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवर है जो पशुओं को खा जाते है (दीप्ति के सी और समिक 2015)

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संबंधी समस्याएँ: गाँवों में बिना या बहुत कम ज़मीन (सीमांत किसान) वाले कई घर मजदूरों के रूप में काम करते है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों

में लगे छोटे प्रतिशत लोग, अधिकांश श्रमिक असंगठित बाजारों में मजदूरी करने वाले के रूप में लगे हुए हैं। असंगठित बाजार आकस्मिक मजदूर भी सबसे कमजोर होते हैं क्योंकि वे श्रम कानूनों के लाभ से वंचित होती हैं और अनिश्चित और कम मजदूरी प्राप्त करते हैं। देशभर में न्यूनतम मजदूरी संरचना में समानता और न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन 115 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया है। इन क्षेत्रों में मजदूरी में भी महत्वपूर्ण लैंगिक असामनता है क्योंकि महिलाओं को समान काम के लिए पुरूषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। 2005 में सरकार द्वारा 'मनरेगा' (MNREGA) की शुरूआत करने के बाद, ग्रामीण परिवारों को वैधानिक न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक श्रमिकों को 100 दिनों के रोजगार का अधिकार हो गया और ग्रामीण परिवार के किसी भी जॉब कार्ड वाले व्यक्ति को रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि वे अकुशल शारीरिक (मैनुअल) काम करने के लिए तैयार हैं। रोजगार 15 दिनों के भीतर प्रदान किया जाता है, और यदि नहीं, तो नकद में एक दैनिक बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करना पड़ता है, एक बार ग्राम पंचायत रोजगार के लिए लिखित आवेदन की दिनांकित रसीद जारी करती है। हालांकि, मनरेगा की अपनी समस्याएँ हैं क्योंकि सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का काम नहीं मिलता है, कम असंगत और विलंबित भुगतान मिलता है।

शहरी आजीविका की स्थिरता की समस्याँः लुईस ममफोर्ड ने अपनी 1961 में प्रकाशित पुस्तक, 'द सिटी इन हिस्ट्री : इट्स ओरिजिन्स, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स' में शहरी सभ्यताओं के विकास का पता लगाया। ममफोर्ड शहरी नियोजन के अनुसार लोगों और उनके रहने की जगहों के बीच जैविक संबंधों पर जोर देना चाहिए। शहरी क्षेत्र सार्वजनिक और निजी से लेकर उद्योग तक असंगठित उद्यमितासे लेकर विभिन्न कौशल और रचनात्मक कार्यों पर आधारित गतिविधियों तक बड़ी संख्या में गतिविधियों और रोजगार के अवसरों की पेशकश करते हैं।

शहरी में जनसंख्या में वृद्धि के कारण, मौजूदा शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं पर दबाव है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएँ चरम स्वास्थ्य खतरे में हैं। खराब रहने की स्थिति महामारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है। वायु और जल प्रदूषण के लिए अग्रणी भीड़, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन, बीमार श्रमिकों की उत्पादकता में कमी, मौजूदा जल स्रोतों के संदूषण और शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव के कारण गरीबों का शहरी जीवन कठिन बनाते हैं।

बोध प्रश्न 3

1) भारत में किसान कृषि में कम आय क्यों कमाते हैं?

....

....

....

....

....

....

2) वन अधिकार अधिनियम (2008) क्या है?

....

....

....

....

....

....

3) मनरेगा योजना मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।

....

....

....

....

....

....

भारत में प्रमुख सरकारी आजीविका आधारित योजनाएँ

किसानों के लिए कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,

वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए बीज़ ग्राम योजना और राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना (एन डब्ल्यु डी पी आर ए)

पशुओं के लिए :

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य

मवेशी और भैस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना

कत्लखानों/बुचड़खानों और षवों के आधुनिकीरण के लिए सहायता

पशुधन बीमा

ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकरण

प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन

फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय स्टेशन

डेयरी विकास

इंटेंसिव/गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी)

गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।

डेयरी/पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड

मछली पालन/मत्स्योद्योग

"द्वीप मत्स्य और जलीय कृषि का विकास" पर केंद्र प्रायोजित योजना

"मत्स्य प्रशिक्षण और विस्तार" पर केंद्र प्रायोजित योजना

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (एन ए बी ए आर डी)

ग्रामीण भारत में कृषि और अन्य विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सर्वोच्च बैंक है।

शहरी क्षेत्रों में, शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन यू एल एम)

टोडारो और स्मिथ (2015) के अनुसार, आर्थिक विश्लेषण की दीर्घकालिक अवधारणाओं का उपयोग करके सतत विकास का अध्ययन किया जा सकता है। इनमें तीन उपकरण शामिल हैः भविष्य के सामाजिक लाभों के उचित मूल्यांकन का उपयोग करना (आमतौर पर बाजार की तुलना में भविष्य में अधिक जोर देना); बाजार की विफलताओं (बाहरीताओं और सार्वजनिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना) पर उचित ध्यान देना; और स्पष्ट रूप से उपभोग की एक धारा के बजाय पूँजीगत स्टॉक के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना। भविष्य की वृद्धि और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर्यावरण की गुणवत्ता पर गंभीर रूप से निर्भर है। किसी देश का प्राकृतिक संसाधन आधार और उसकी वायु जल और भूमि की गुणवत्ता सभी पीढ़ियों के लिए एक समान विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पकालिक आर्थिक लक्ष्यों की खोज में अंधाधुंध रूप से उस उपहार को नष्ट करने से वर्तमान और विशेष रूप से, भविष्य की पीढ़ियों दोनों को दंडित किया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि नीति नियंता/निर्माता अपने निर्णयों में पर्यावरण लेखांकन के किसी न किसी रूप को शामिल करें। उदाहरण के लिए मूल्यवान पर्यावरणीय संसाधनों क संरक्षण या हानि को आर्थिक विकास और मानव कल्याण के अनुमानों में रखा जाना चाहिए। (पृष्ठ 492, 2015)

पर्यावरणीय परिवर्तन, गरीबी के कारण स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच में कमी, (बायोमास) गोबर कड़ो से चलने वाले चूल्हों से आंतरिक वायु प्रदूषण, और वनों की कटाई और मिट्टी के क्षरण की सेवा से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों में शामिल हैं, सबसे आम हैं, जहाँ घरों में रहने के अस्थिर विकल्पों के लिए आर्थिक विकल्पों का अभाव होना। पर्यावरणीय क्षति के प्रमुख स्वास्थ्य और उत्पादकता परिणामों में जल प्रदूषण और कमी, वायु प्रदूषण, ठोस और खतरनाक अपशिष्ट, मिट्टी का क्षरण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या/आबादी की विस्तारित खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, यह अनुमान है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। और क्योंकि मौजूदा आबादी द्वारा दुनिया के कई क्षेत्रों में भूमि का दोहन किया जा रहा है, इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों के वितरण, उपयोग और मात्रा में आवश्यक बदलावों की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण संसाधनों जैसे वन और पानी की आपूर्ति के देखभालकर्ता ज्यादातर कृषि श्रम के साथ महिलाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए यह प्राथमिक महत्व का विषय है कि पर्यावरणीय कार्यक्रमों को उनकी भूमिका के आस–पास तैयार किया जाए। उत्पादन की अस्थिर तरीकों पर उनकी निर्भरता का कम करने के लिए गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी लक्षित करना चाहिए। छोटे किसानों के लिए कृषि आदानों की बढ़ती पहुँच और खेती के स्थिर तरीकों की शुरूआत से संसाधन उपयोग के मौजूदा पर्यावरणीय विनाशकारी पैटर्न के लिए आकर्षक विकल्प बनाने में मदद मिलेगी। पूँजी और प्रौद्योगिकी निवेश खेती योग्य भूमि से पैदावार बढ़ा सकते हैं और भविष्य के भोजन को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं।

भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि, शिकार, मछली पकड़ने या वानिकी पर निर्भर करती है। पर्यावरणीय संसाधनों के लाभों तक पहुँच अक्सर अत्यधिक असमान है और कुछ मामलों में, गरीब अपने पारंपरिक प्राकृतिक संसाधनों के कुछ जंगलों, खेतों और मछली पकड़ने के क्षेत्रों सहित नए निजी संपत्ति अधिकार व्यवस्था या भ्रष्ट जनता भू–प्रबंधन के लिए नियंत्रित खो रहे हैं।

अक्सर ग्रामीण गरीबों के पास अपर्याप्त कृषि योग्य भूमि या प्रकृति से पर्याप्त आजीविका अर्जित करने के लिए संसाधनों तक पहुँच की कमी है, जैसे कि जंगलों तक पहुँच, पशुओं के लिए चरना, या मछली पकड़ने के लिए नाव और उपकरण, प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण स्थानीय रूप से अस्थिर रहा है और एक तरह से और उस पैमाने पर घटित हुआ है जो अक्सर गरीबों को दरकिनार करता है। कई क्षेत्रों में, सामान्य गाँव की जमीन या पानी का निजीकरण किया जाता है और इन लोगों को उनकी आजीविका और जीवन के रास्ते के लिए इन भूमि और संसाधनों पर निर्भर रहने वाले लोगों की परवाह किए बिना लॉगिंग, मछली पकड़ने और खनन के लिए बड़े निगमों को दिया जाता है। यहाँ तक कि गरीबों द्वारा उपयोग की जाने वाली आम भूमि को "संरक्षित" क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाता है (भ्रष्टाचार और अवैध शिकार किसी भी पारिस्थितिक लाभ को कम कर सकता है) गरीबों की आजीविका और जीवन के तरीके को प्रभावित करना, उन्हें संरक्षण में भाग लेने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता। गरीब लोगों और उनके समुदायों को उनके अधिकारों का दावा करने का सशक्तिकरण 'गरीब के समर्थन देने वाला शासन' के साथ आता है, जहाँ जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए स्थानीय प्रयासों की आवश्यकता होती है।

बोध प्रश्न 4

1) विकास के बिना वृद्धि / विकास क्या है?

....

....

....

....

....

....

2) दो तरीकों से सरकार की नीति आजीविका स्थिरता को प्रोत्साहित कर सकती है।

....

....

....

....

....

....

आजीविका नियोजन की कानूनी रूप रेखा पुनर्स्थापन की नीतिक अलावा मुख्य कानूनी रूपरेखा के भीतर निम्नलिखित नियम और अधिनियम आजीविका नियोजन के संस्थाकरण के लिये कानूनी रूप से बाध्य समझे जाते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948ः सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मालिक द्वारा दिया जाये इस अधिनियम में प्रावधान है परिवक्ता लाभ अधिनियम 1961ः यह अधिनियम घर पे रहने या गर्भपात की स्थिति में छुट्टी अधिन्य कुछ लाभ महिला श्रमिकों को देने का प्रावधान करता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 : यह अधिनियम लैंगिक आधार पर भेदभाव किए बिना समान काम के लिए समान मजदूरी के भुगतान का प्रावधान करता है।

बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियमन 1986ः अधिनियम कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों क रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और अन्य सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार के नियमन का प्रावधान करता है। भवन और निर्माण उद्योग मे बाल श्रमिकों को रोजगार निषिद्ध है।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 : सभी प्रतिष्ठान जो किसी भी भवन या अन्य निर्माण काय्र को करते हैं और 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, इस अधिनियम के तहत आते हैं; प्रतिष्ठान के नियोक्ता को सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जैसे कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ, एम्बुलेंस, कार्यस्थल के पास श्रमिकों के लिए आवास आदि।

ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972ः अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो अलग से कुछ शर्तों की संतुष्टि पर अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी देय है।

बोनस का भुगतान अधिनियम 1965ः अधिनियम में 8.33ः मजदूरी और अधिकतम 20ः मजदूरी के अधीन वार्षिक बोनस के भुगतान का प्रावधान है।

ट्रेड यूनियन अधिनिम, 1926 : यह अधिनियम श्रमिकों और नियोक्ताओं की ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करता है। अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को सिविल और आपराधिक देनदारियों से कुछ सुरक्षा दी गई है।

अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 : यह अधिनियम ठेकेदार को अनुबंध श्रम के लिए प्रदान किए जाने वाले कुछ कल्याणकारी उपयों को प्रदान करता है।

कामगार का मुआवजा अधिनियम 1923: अधिनियम में दुर्घटना के कारण चोट लगने पर और रोजगार के दौरान क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

कारखाने अधिनियम 1948: अधिनियम एक कारखाने, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों, कल्याण प्रावधानों, काम के घंटे की स्थापना और दुर्घटनाओं या खतरनाक अधिकारियों के संबंध में जानकारी प्रदान कराने से पहले योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को देता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947: यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए मशीनरी और प्रक्रिया को बंद कर देता है, उदाहरण के लिए कि किन स्थितियों में हड़ताल या लॉक–आउट अवैध हो जाता है और कर्मचारियों को हटाने या पीछे हटाने या प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं/क्यों आवश्यक है।

औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946: अधिनियम में रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों को रखने का प्रावधान है। 3/4 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 : अधिनियम नियोक्ता प्लस श्रमिकों द्वारा मासिक योगदान के लिए प्रदान करता है।

13.5 सारांश

वर्तमान इकाई में, हमने विकास की प्रक्रिया में विषयों के रूप में आजीविका और स्थिरता पर चर्चा की। हमने आजीविका और स्थिरता की अवधारणा के रूप में विस्तार में जाँच की और आजीविका के अवसरों और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में स्थिरता के मुद्दों पर बहस की। अंत में, हमने अपनी योजनाओं और नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ–साथ की भूमिका को देखा, कैसे यह महिलाओं और गरीबों को अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए आजीविका स्थिरता के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकता है।

13.6 शब्दावली

सामाजिक प्रणाली : एक समाज की संस्थागत और संगठनात्मक संरचना जिसमें उसके दृष्टिकोण, मूल्य, शक्ति संरचना और परंपराएं शामिल हैं।

विकास : एक बहुआयामी प्रक्रिया जिसमें संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रणाली का पुनर्गठन और पुर्नसंरचना शामिल है। यह सभी मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार की एक प्रक्रिया है।

आजीविका : अर्जन का अर्थ है समाज में जीवन निर्वाह करना।

स्थिरता : लंबी अवधि के आधार पर संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि या रखरखाव

आजीविका स्थिरता : इसमें किसी भी तरह के तनाव और झटके से बचने और उबरने की क्षमता शामिल है, जो प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा के कारण हो सकता है।

13.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

टोडारो माइकल पी और स्मिथ स्टीफन (2015) इकोनॉमिक डेवलपमेंड 12th संस्करण, पियर्सन, न्यू यॉर्क

दे हन लियो, जे. (2012) द लइवलीहुड एप्रोच : ए क्रिटिकल एक्सपलोरेशन, एर्डकुंडे बीडी 66, एच. 4 (अक्टूबर–दिसम्बर, 2012), पृष्ठ 345–357 : http;//www.jstor.org/stable/41759104 एक्सेस्ड ऑन 20–03–2020

ब्रायंट कोरली और बाईट लोई जी (1982) मेनेजिगि डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड, बोल्डर कॉर्पोरेशनः वेस्ट व्यु http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/6752/3/unit-24.pdf

दिप्ती के सी और अधिकारी समीक (2015) सोशियो इकोनॉमिक एण्ड जेंडर एनालाइसेस ऑफ ट्राईबल पॉपुलेशन इन इंडिया, आई एफ एम आर लीड।

13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) आजीविका को केवल समाज में जीवन को बनाए रखने के लिए कमाइ के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

2) स्थिरता का तात्पर्य दीर्घकालिक आधार पर संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि या रखरखाव से है।

3) विकास तीन महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ सभी मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की एक प्रक्रिया हैः 1) लोगों के जीवन स्तर को उठाना अर्थात् आय और उपभोग, भोजन के स्तर, चिकित्सा सेवाएँ, प्रासंगिक वृद्धि / विकास प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षा। (2) सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों और संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से लोगों के आत्मसम्मान के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना जो मानवीय गरिमा और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। (3) अपनी पसंद के चरों की सीमा बढ़ाकर लोगों स्वतंत्रता को बढ़ाना, उदाहरण के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की किस्में।

बोध प्रश्न II

1) आजीविका स्थिरता में किसी भी तरह के तनाव और झटके से बचने और उबरने की क्षमता शामिल है, जो प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा के कारण हो सकता है।

बोध प्रश्न III

1) कृषि संपत्तियों में छोटे निवेश और कृषि प्रौद्योगिगी के लिए कम पहुँच और राज्य या निजी क्षेत्र की मशीनरी से इनपुट की कमी के कारण कृषि में ग्रामीण जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद किसानों को कम आय मिलती है।

2) जनवरी 2008 में अधिनियम वन अधिकार अधिनियम (एफ आर ए) अन्य सभी वन और वन्यजीव संबंधित कानूनों पर पूर्वता रखता है, जिससे वननिर्भर समुदायों को वनों तक पहुँच मिलती है। यह वनाच्छादित परिदृश्यों में खेती योग्य भूमि की अनुमति देता है; घरों के लिए सूखी और गिरी हुई ईंधन लकड़ी और चारा इकट्ठा करना; और बिक्री के लिए चिकित्सा संयंत्र (गैर–विनाशकारी तरीकों से) एकत्र करना।

3) सरकार ने 2005 में मनरेगा की शुरूआत की ग्रामीण परिवारों को वैधानिक न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों पर 100 दिनों का रोजगार मिला, और ग्रामीण परिवार के कोई भी जॉब कार्ड रोजगार के लिए आवेदन कर सकते थे, यदि वे अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक थे। 15 दिनों के भीतर, रोजगार प्रदान किया जाता है और यदि नहीं तो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना पड़ता है।

बोध प्रश्न IV

1) विकास के बिना वृद्धि/विकास, अर्थ सामाजिक और आय में वृद्धि अल्पसंख्यकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, कल्याणकारी योजनाओं के लिए गरीबों की पहुँच में कमी, कहीं न कहीं यह संकेत देते हैं कि पारिस्थितिक स्थिरता आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ–साथ सामाजिक समावेश और मानव विकास दुनिया भर में हर देश और उनकी सरकारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक संस्थानों में परिवर्तन के बिना सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है।

2) a) उत्पादन की अस्थिरता तरीकों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी लक्षित करना चाहिए। ग्रामीण संसाधनों जैसे वन और पानी की आपूर्ति के देखभालकर्ता ज्यादातर कृषि श्रम के साथ महिलाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, यह प्राथमिक महत्व है कि पर्यावरणीय कार्यक्रम उनकी भूमिकाके आसपास डिजाइन किए जाएं।

   b) गरीब लोगों और उनके समुदायों के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए "प्रो खराब शासन" के साथ अपने अधिकारों का दावा करते हैं, जहाँ जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए स्थानीय प्रयासों की आवश्यता होती है।

संदर्भ

टोडारो माइकल पी और स्मिथ स्टीफन (2015) इकोनॉमिक डेवलपमेंड 12जी संस्करण, पियर्सन, न्यू यॉर्क

दे हन लियो, जे. (2012) द लइवलीहुड एप्रोच : ए क्रिटिकल एक्सपलोरेशन, एर्डकुंडे बीडी 66, एच. 4 (अक्टूबर–दिसम्बर, 2012), पृष्ठ 345–357 : http;//www.jstor.org/stable/41759104 एक्सेस्ड ऑन 20–03–2020

ब्रायंट कोरली और बाईट लोई जी (1982) मेनेजिगि डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड, बोल्डर कॉर्पोरेशनः वेस्ट व्यु http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/6752/3/unit-24.pdf

दिप्ती के सी और अधिकारी समीक (2015) सोशियो इकोनॉमिक एण्ड जेंडर एनालाइसेस ऑफ ट्राईबल पॉपुलेशन इन इंडिया, आई एफ एम आर लीड।

http://www.ifmrlead.org/wp-content/uploads/2015/05/tribal%20Report-design march 2015 after%20book%20edit.pdf एक्सेस्ड ऑन 2 अप्रैल, 2020

https: www.india.gov.in/people-groups/community/rural-indian/livelihood एक्सेस्ड ऑन 2 अप्रैल 2020

http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/39206/3/unit-1.pdf एक्सेस्ड ऑन 2 मार्च, 2020.

इकाई 14 जमीनी स्तर पर पहल*

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर पहल
14.3 संस्थान और जमीनी स्तर पर पहल
14.4 जमीनी स्तर पर पहल
14.4.1 नजदीक
14.4.2 सेवा
14.4.3 सहयोग
14.4.4 मनरेगा
14.4.5 एमएसएसई योजना
14.4.5.1 एमएसएमई सम्पर्क
14.4.5.2 एमएसएमई समाधान
14.4.5.3 प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)
14.5 सारांश
14.6 शब्दावली
14.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
14.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे:

- संयुक्त विकास की प्रक्रिया के साथ जमीनी स्तर पर पहल और उनके संबंधों पर चर्चा;
- जमीनी स्तर पद्धति और संस्थान के साथ उनके संबंधों के विभिन्न पहलुओं का वर्णन; और
- विभिन्न समूहों और सरकार द्वारा विभिन्न जमीनी स्तर पर पहल कार्यक्रमों की जाँच।

14.1 प्रस्तावना

हमने पिछली इकाई में पहले से ही आजीविका और निरंतरता/संवहनीयता पर चर्चा की है, इससे आगे विकास के क्षेत्र के मुद्दों पर, हम विकास की प्रक्रिया में जमीनी पहल और उनकी प्रासंगिकता पर ध्यान देंगे।

लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरा विश्व युद्धोत्तर काल में, विकास ज्यादातर देशों के लिए एक प्राथमिक चिंता थी विशेष रूप से नए स्वतंत्र अफ्रीकी एशियाई देशों में चूंकि इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय कम थी, इसलिए उन्होंने इस

*डॉ. उज्मा अजहर द्वारा लिखित।

कार्यक्रम का विकल्प चुना, जो उन्हें कम समय में उच्च विकास दर प्रदान कर सके। कई अन्य सूचीबद्ध प्राथमिकताएँ थी लेकिन धारणा यह थी कि एक बार उच्च विकास दर हासिल करने के बाद ट्रिकल डाउन प्रभाव अर्थात् धीरे–धीरे विकास का हर किसी को लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। नीति निर्माताओं ने विकास वृद्धि के कार्यक्रमों पर भरोसा किया, जिससे बेरोजगारी, गरीबी और उन्मूलन और अन्य समस्याओं का समाधान होगा। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का इस्तेमाल अंतर्निमय द्वारा गया था। वास्तविकता जल्द ही प्रकट हो गई और 1960 के दशक के बाद के विकासशील देशों में पश्चिमी दुनिया के आर्थिक विकास मॉडल अपनाने की अमर्त्य सेन, समीर अमीन और आंद्रे गुनर फ्रैंक जैसे अर्थ शास्त्रियों ने अलोचना की जिसके कारण समाज में आर्थिक असमानताओं का और शिकार हुआ। विकासशील और अल्पविकसित दुनिया के लिए गरीबी, बेरोजगारी, साक्षरता, स्वास्थ्य के मुद्दों आदि जैसी समस्याएं विशेष रूप से हाशिए की जनसंख्या से निपटना बड़ी चुनौतियों बन गई। 'विकास' की अवधारणा बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरी है। अब विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि/विकास के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्रों में सुधार (शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक मुद्दों पर कम संघर्ष आदि) मानवीय विकास (मानव व्यक्तित्व के वृद्धि/विकास के चारों ओर के उपाय) और सतत/स्थायी विकास (प्रकृति या पर्यावरण के अनुकूल वृद्धि/विकास) है। गुन्नार मिथाल्ड (1960) के विकास के लिए बेहतर जीवन यापन की स्थिति प्रदान करके संपूर्ण उन्नयन गति (upward movement) है। पर्याप्त भोजन बेहतर आवास, स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण और सांस्कृतिक सुविधाओं का सामान्य सुधार, जो सभी के लिये वांछनीय हैं।

आइए अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर पहल कैसे समावेशी विकास का एक महत्वूपूर्ण घटक है।

14.2 समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर पहल

अमर्त्य सेन (1999) के अनुसार, एक देश तेजी से विकसित हो सकता है लेकिन फिर भी साक्षरता, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा रह सकता है। सेन विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करते हैं जो लोगों के लिए उनकी मन वांछित शर्तों, अधिकारों और क्षमताओं का विस्तार करती है। उनका विचार है कि राष्ट्रीय उत्पाद या सकल आय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए, विकास अर्थशास्त्रियों को लोगों के अधिकारों और इन अधिकारों द्वारा उत्पन्न क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सामाजिक संकेतक जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास में सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की भागीदारी तेजी से विकास को बढ़ावा देती है। इसलिए, सामाजिक समावेश आज वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। विकास केवल उपयोगिताओं और आय में वृद्धि के बारे में नहीं हो सकता है।

विकास में आर्थिक सुविधाओं, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक अवसरों, पारदर्शिता की गारंटी और सुरक्षात्मक सुरक्षा जैसे कई अलग–अलग लेकिन परस्पर संबंधित घटक शामिल होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया इन अंतर्सबंधों से प्रभावित होती है। कई परस्पर संबद्ध स्वतंत्रताओं के अनुरूप, लोकतांत्रिक प्रणालियों, कानूनी तंत्र बाजार संरचनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों, मीडिया और अन्य संचार सुविधाओं सहित संस्थाओं की बहुलता को विकसित करने और समर्थन करने की आवश्यकता है। संस्थाएं निजी पहलों के साथ–साथ सार्वजनिक समझौतों और गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट संस्थाओं जैसे मिश्रित संरचनाओं को भी शामिल कर सकती है। (सेन, 1999, पृष्ठ 53)

जैसे कि हम भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर जमीनी स्तर पर पहल पर हावी है, हमें जनसंख्या के उस भाग को भी जानना होगा जिसमें यह शामिल है।

रोजगार–बेरोजगारी पर एनएसएसओ (NSSO) के 55 वें दौर के सर्वेक्षण में अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल लगभग आधे बिलियन लोगों की पहचान की गई, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक अनियमित नौकरियों को विनियमित किया गया। "भारत में सामाजिक भेदभाव" पर 2010 के ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, दलित और आदिवासी अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात रखते हैं, जिसमें से 89 प्रतिशत चार गरीबी समूहों में वितरित किए गए हैः अत्यंत गरीब, गरीब, सीमांत और अति संवेदनशील। साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया है, अनौपचारिक क्षेत्र के 85 प्रतिशत मुस्लिम "खुद को सबसे कम चार आय समूहों में पाते हैं।" अनौपचारिक क्षेत्र में 95 प्रतिशत महिलाएँ भी शामिल है।

हम अब समावेशी विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो अपनी परिभाषा के अनुसार, संसाधनों की एक समान आवंटन है तात्पर्य यह है कि जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचाये। समावेशी वृद्धि और विकास के लिए हमें समाज के निचले स्तर द्वारा उनके जीवन में आवश्यक, कठिनाईयों और चुनौतियों के कारण नवाचारों का निर्माण करते हुए होने वाली पहल को समझना होगा। जमीनी स्तरपर नवाचार एक अनौपचारिक वातावरण को संदर्भित कर सकता है, जहाँ व्यक्ति स्थानीय समस्याओं को हल करने स्वदेशी रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उत्पादन और परिवर्तन करने के लिए नवाचार कर सकते हैं। वे गैर–बैंकिग और सूक्ष्म वित्तीय (माइक्रो फाइनेसिंग) संस्थानो को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमे स्थानीय उत्पादों जैसेकि बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों के बागान और उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग बिक्री आदि शामिल हो सकते हैं।

जमीनी स्तर की पद्धति में सामाजिक रूप से समावेशी प्रक्रियाएँ भी शामिल हो सकती है जिसमें उनके स्रोत अभिनव हो सकते हैं।

- भारत में अनौपचारिक पर्यावरण में उनके उद्भव में जमीनी स्तर पर पहल के संस्थागतकरण के विशिष्ट लक्षण हैं।
- भारत में संस्थागतकरण की प्रक्रिया 'बॉटम अप' सिद्धांत पर बनाई गई है, जो पूरी तरह से वास्तविकता (स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित) और संसाधनों की दक्षता और उपयोग को बनाए रखने की मांग पर आधारित है।
- नेटवर्किंग सिद्धांतों (पदानुक्रमित नहीं) के आधार पर, स्थानीय संगठनों का समर्थन और बढ़ावा देना जमीनी स्तर पर क्षैतिज है। यह समय और संसाधनों को बचाने का एक तरीका है। इस प्रकार सहयोग तेज और प्रभावी हो जाता है।
- अनौपचारिक वातावरण में काम करने वाले स्थानीय लोगों के लिए, इस संस्थागत संरचना के भीतर संगठनों द्वारा औपचारिकरण नवीन उत्पादन विकास (स्काउटिंग, सत्यापन, वैधता, परीक्षण, आई.पी.आर. संरक्षण, व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सामाजिक प्रसार) को सक्षम करने के लिए आंतरिक (अनौपचारिक पर्यावरण के भीतर) और बाहयन (औपचारिक क्षेत्र के साथ) संचार प्रदान करना है और सभी चरणों में कार्यसम्पादन की लागत घट जाती है।
- जमीनी स्तर की पहल के संस्थागतकरण ने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए उद्यमियों और रचनात्मकता प्रवर्तनों के रूप में मापन करना संभव बना दिया है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) विकास को परिभाषित करें।

....

....

....

....

....

....

2) संयुक्त विकास का क्या अर्थ है?

....

....

....

....

....

....

3) जमीनी स्तर की पद्धति क्या है?

....

....

....

....

....

....

4) भारत में अनौपचारिक पर्यावरण में उनके उद्‌भव से जमीनी स्तर पर पहल के संस्सागतकरण की दो विशेषताओं का उल्लेख करें।

....

....

....

....

....

....

14.3 संस्थान और जमीनी स्तर की पहल

भारत में, जमीनी स्तर पर आधारित अनौपचारिक पर्यावरण से नवाचारों का संस्थाकरण अनौपचारिक क्षेत्र की कल्पनाशील और अविष्कारशील क्षमता की जागरूकता का कारण रहा है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोग मानी जाती थी। समान प्रतिभागियों के रूप में औपचारिक क्षेत्र ने जमीनी स्तर के नवप्रवर्तन कर्ताओं की क्षमता के साथ राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली को एकीकृत किया गया है।

स्थानीय (निचले स्तर) पर रहने वाले को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता और साधन दिए जाने चाहिए और ऊपर से नौकरशाही से कम हस्तक्षेप के साथ योजना बनानी चाहिए। सत्ता के विकंद्रीकरण की ओर अग्रसर तेजी से विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 'बॉटम अप' दृष्टिकोण को अधिक सफल दृष्टिकोण माना जाता है। जमीनी स्तर पद्धति के संबंध में केद्रीकत शीर्ष डाउन दृष्टिकोण कम भागीदारी, अधिक शिक्षाप्रद और प्रकृति में बहुत नौकरशाही है।

आकृति 1: केंद्र/राष्ट्रीय सरकार से राज्य को जिला पंचायत स्तर (केंद्रीकरण) के लिए सुचारू रूप से चलने वाली शक्ति और अधिकार दिखाने वाला टॉप–डाउन दृष्टिकोण। बॉटम अप का दृष्टिकोण स्थानीय पंचायत/जिलं से राष्ट्रीय सरकार (विकेंद्रीकरण) के लिए शक्ति और अधिकार को दर्शाता है।

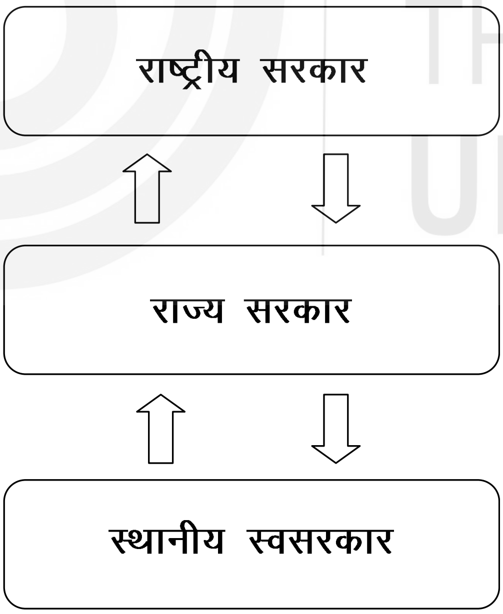

हाल के वर्षों में उच्च केंद्रीकृत प्रणाली से विकेंद्रीकृत प्रणाली की ओर प्रणाली की ओर बदलाव देखा गया है, उनकी कार्यात्मक गतिविधियों को रेखांकित करने के अलावा, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान के अनुच्छेद 2436 में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को कार्यों को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि विकास और नियोजन के क्षेत्र में पंचायतों की प्राथमिक भूमिका होगी और आर्थिक विकास था, सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को लागू करना उनकी सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु है।

विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से सूक्ष्म इकाई के स्तर पर जरूरतों को शामिल करता है, चाहे वह ग्राम पंचायत का क्षे.त्र हो या गांवों का समूह हो। अधिकारिक नीति को आकार देने में नागरिकों के विचारों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए यह सबसे वांछनीय प्रणाली है।

राष्ट्रीय सरकार एक सूत्रधार के रूप में काम करती है और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण को प्रोत्साहित करती है और विकेंद्रीकरण के परिदृश्य में, सरकारी मंजूरी के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान केंद्रों के बिना कामकाज को सुविधाजनक बनाती है। जमीनी स्तर पर स्थानीय ग्रामीण ज्ञान केंद्रों का कामकाज समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थानों गैर–सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा मजबूत किया जाता है जो ग्रामीण स्तर पर ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

ग्रामीण स्तर पर 'ज्ञान केंद्र' जहाँ स्थानीय विशिष्ट ज्ञान के लिए सामान्य जानकारी है वहाँ नए इंटरनेट माध्यम, टेलीविजन, रेडियों जैसे अन्य सामान्य माध्यमों के साथ, स्थानीय समाचार पत्रों का उपयोग पुरूषों और महिलाओं द्वारा उनके और समुदाय के लाभ के लिए जानकारी संसाधित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकारी एजेंसियों सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड्स के साथ वित्तीय संसाधन की उपलब्धता योजनाओं और संबंधित जानकारी देती है।

हाल ही में, भारत सरकार नकदी रहित (कैशलेस इकोनॉसी) को बढ़ावा देने और भारत के सभी नागरिकों को विशेष रूप से गरीबों को सुविधाजनक आसन, सस्ती, तेज और सुरक्षित तरीके वे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित करने के लिए सीमारहित अंकीय (सीमलेस डिजिटल) भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है।

जबकि, हम यहाँ सूक्ष्म उद्यमों के बारे में बता रहे हैं, हम सूक्ष्म, मध्यम और छोटे उद्यमों (2018–19) में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ो के माध्यम से शहरी और ग्रामीण के माध्यम से उद्यमों की श्रेणियों के वितरण पर नजर डालते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम हावी हैं।

श्रेणीवार उद्यमों का वितरण (लाखों में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	शेयर
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

स्रोतः भारत सरकार सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम वार्षिक रिपोर्ट 2018–19।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या बताती है कि कैसे सूक्ष्म उद्यम के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र 'जमीनी स्तर पर पहल के मूल में निहित है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) टॉप डाउन दृष्टिकोण क्या है?

....

....

....

....

....

....

2) पंचायत के दो मुख्य कार्यों का उल्लेख करें,

....

....

....

....

....

....

14.4 जमीनी स्तर पर की गयी पहल

आइए अब हम जमीनी स्तर (ग्रासरूट) की कुछ पहलों को विस्तार पूर्वक देखें। हमने समावेशी वृद्धि और विकास के विचार के बारे में बात की थी, यानी हाशिए के समूहों को उनकी कौशल वृद्धि के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे अपने आप ही आत्मनिर्भर बन सकें।

अनुमान के अनुसार भारत में महिला श्रमिक स्वकार्यरत हैं। वे आमतौर पर पारंपरिक शिल्प या व्यवसाय में कुशल होते हैं, आमतौर पर बहुत गरीब होते हैं, और उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती है। यह महिलाओं का संयुक्त राष्ट्र दशक (1975–85) था जिसने भारत में भी महिलाओं में वेतन समानता (इक्विटी), लिंग, हिंसा, भूमि आधिपत्य और अन्य मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया था। 1980 के दशक तक उनकी उत्पादकता के बावजूद अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अपरिवर्तित रहा। आज भी, स्वकार्यरत महिलाओं के पास कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है और वे किसी भी प्रभावी कानून द्वारा संरक्षित नहीं है।

बड़े पैमाने पर कृषि और तृतीयक क्षेत्रों में लगे हुए, स्वरोजगार वाली महिलाओं को समूहबद्ध किया जा सकता है (क) घर पर आधारित उत्पादक जो कपड़े आदि बुनती है, मिट्टी के बर्तन, बीड़ी, अगरबत्ती, पापड़ बनाती है और तैयार वस्त्र, सूत कातकर (स्पिन यार्न) और धागा बनाती हैं। कढ़ाई का काम करती है, (बी) छोटे विक्रेता और फेरीवाले, अपनी गाड़ियाँ या मेकशिफ्ट स्टोर से सब्जियाँ, फल और घरेलु वस्तुएँ बेचकर (ग) सेवा के प्रदाता शारीरिक श्रम करने वाले (मैनुअल) मजदूर जैसे कि कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक संपर्क मजदूर, कपड़े धोने वाले और घरेलु कामकाज उनमें कूड़ा उठाने वाला (रैग पिकर्स) और वे श्रमिक भी शामिल हैं जो वन उत्पादों को इकट्ठा करते हैं (सेवा 1995, पेज 1, दत्ता 2003 में उद्धृत)।

भारत में महिलाओं के श्रम की समग्र रूप से गिरावट के खिलाफ स्वरोजगार महिलाओं के मामले की जाँच की जानी है। एक अनुमान के अनुसार, कार्यबल में 314 मिलियन लोग है, जिनमें से 90 मिलियन महिलाएं हैं। अधिकांश यानी लगभग 90ः महिलाएं कृषि और संबंधित गतिविधियों में कार्यरत हैं, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र में स्व नियोजित महिलाओं के लिए मजदूरी संरचना, कार्य के घंटे, कार्य की स्थिति, शिकायत प्रबंधन, या सेवानिवष्त्ति और अन्य लाभों का निर्धारित क्षेत्र में पैरामीटर सेट करने के लिए स्वतंत्र हैं, महिला श्रमिकों के लिए कोई मानक, अनुबंध या संसाधन नहीं हैं, जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या जिस मजदूरी का वादा किया जाता है वह दी नहीं जाती है (दत्ता 2003)।

महिलाओं के समर्थन के संबंध में हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए), महिला विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू डी पी), महिला समस्या, जल और स्वच्छता बोर्ड, बैंक क्रेडिट (स्वयं सहायता समूह) डायरी परियोजनाएं वानिकी, हस्तशिल्प आदि मुख्य रूप से सरकार की पहल पर आदि के तहत बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे महिला समूह हैं।

एक पंजीकृत महिला सहकारी/समाज द्वारा बड़ी संख्या में गाँव आधारित समूह जुटाए गए हैं, जहाँ क्रेडिट, गैर औपचारिक शिक्षा, आय सष्जन की गतिविधियाँ आदि हैं, जो बाद में अनौपचारिक रूप से संबद्ध हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के महिला समाख्या कार्यक्रम के जागरूकता सष्जन कार्यक्रम सरकार के 'जमीनी पहल' और सशक्तीकरण के अन्य उदाहरण है। जबकि पहला कार्यक्रम एनजीओ बिचौलियों पर लगभग पूरी तरह से निर्भर था, दूसरे कार्यक्रम में सरकार और गैर सरकारी संगठन दोनों शामिल हैं।

महाराष्ट्र ने पिछले साल 40 से अधिक वर्षों में सबसे खराब अकाल का सामना किया। जब अंततः निर्जन भूमि से कुछ भी पानी नहीं निकाला जा सकता है तो स्वम् शिक्षण प्रयाग ने यह सुनिश्चित किया कि 72,000 से अधिक महिलाओं को प्रभावी ढंग से उन स्थितियों काम करने के लिए सशक्त बनाया जाये। वर्षों से संगठन ने स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया है, जिससे महिलाओं को भूमि प्राप्त करने और मिश्रित फसल, जैविक खेती के रूप में संलग्न किया जा सकता है, जो बहुत कम पानी का उपयोग करता है, कई महिलाओं आर्थिक स्वतंत्रता दी और उन्हें समान विचारधारा वाली महिलाओं के साथ सहकारिता के निर्माण की अनुमति दी।

14.4.1 नजदीक (NAZDEEK)

2012 में गठित, नजदीक आदिवासी (आदिवासी) महिला स्वयंसेवकों के लिए एक कानूनी सशक्तिकरण संगठन है, जिन्होंने सोनितपुरी जिले, असम में चाय बागान क्षेत्रों में होने वाले मातष और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के उल्लघंन के मामलों की पहचान की और रिपोर्ट की (उनके अंतरति मातृ मृत्यु दर परियोजना के भाग के रूप में)। इस पहल के माध्यम से, महिलाएं पाठ्य संदेश के माध्यम से अतिक्रमणों की रिपोर्ट कर सकती है, जो विशिष्ट स्थानों और अतिक्रमण के प्रकारों के लिए संख्यात्मक कोड का उपयोग करती है। सी ई जी एस एस परियोजना की तरह, यहाँ भी मामलों को सार्वजनिक रूप से सुलभ उपहिंदी मंच (endmmnow.org) पर मापित (मैप) किया गया था। इन स्थानों में चाय बागान प्रबंधकों द्वारा संचालित वे सुविधाएँ शामिल हैं, जो अपने श्रमिकों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक पाते हैं, सार्वजनिक सुविधाओं के साथ–साथ अस्पताल भी; आंगनबाड़ी केंद्र (महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य और भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले सामुदायिक केंद्र) और राशन दुकानें। परियोजना को लागू करने के लिए, नजदीक ने एक स्थानीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ काम किया।

14.4.2 सेवा (SEWA)

स्वरोजगार महिला संघ (सेवा/SEWA) का गठन 1972 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। 1996 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी सदस्यता 1996 में 30,000 से बढ़कर 318,527 हो गई (SEWA, 2000)। अकेले गुजरात राज्य में सदस्यता 205,985 है।

एसईडब्ल्यूए/सेवा के दो तिहाई सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित हैं। संगठन धर्म और जाति की रेखाओं से परे रहता है, क्योंकि सदस्यों में से एक तिहाई मुस्लिम और एक अन्य तीसरे हरिजन हैं। सेवा (SEWA) सहकारी में महिलाओं को संगठित करता है और एक व्यापार संघ (ट्रेड यूनियन) की तरह काम करता है। काम के अतिरिक्त, यह बैकिंग, बच्चों की देखभाल, कानूनी मदद और व्यावसायिक निर्देश जैसी नियोजित महिलओं को परिभाषित करता है, जिसमें ऐसे श्रमिक शामिल हैं जो अपने छोटे व्यवसायों या मजदूरी के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं और औपचारिक कर्मचारियों जैसे नियमित वेतन प्राप्त नहीं करते हैं। ईला भट्ट (1972 से) द्वारा स्थापित सेवा (SEWA) ने स्वयं को गरीब, स्वनियोजित श्रमिकों के एक श्रम संगठन, एक सहकारी और महिलाओं के आंदोलन में परिवर्तित कर दिया है, जिसने बड़ी संख्या में महिलाओं और परिवारों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

सेवा (SEWA) इन मुद्दों को हल करने के लिए महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित है। स्व नियोजित महिलाओं को इसका समर्थन उन क्षेत्रों में पारिश्रमिक, कैरियर की संभावनाओं और कौशल विकास को प्राप्त करने की दिशा में किया जाता है; जहाँ ये सीमांत या गैर–मौजूद हैं (वर्मा एट अल 1996, पी xxv)। स्वयं सहायता के विचार पर ध्यान केंबद्रत करते हुए एसईडब्ल्यू ए महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति को भी मजबूत करता है, नए विकल्प प्रदान करता है और महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में प्रवेश करने के लिए संगठित करने में सफल होता है।

14.4.3 सहयोग (SAHYOG)

1992 में, सहयोग की स्थापना हुई, जो उत्तर प्रदेश (यूपी) में स्थित एक महिला स्वास्थ्य और अधिकार संगठन है। सहयोग लगभग 12000 गरीब दलित, मुस्लिम और आदिवासी समुदायों की ग्रामीण महिला नेताओं से मिलकर बना है, जिनका यूपी भर में समुदाय आधारित संगठनों (CBO) के साथ लंबे समय से सहयोग रहा है और एक जमीनी स्तर पर महिला मंच (महिला स्वास्थ्य अधिकारी मोर्चा MSAM) है। 2011 में, सरकार ने मुफ्त व्यापक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की और यूपी राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि नागरिक समाज संगठन स्वतंत्र रूप से इसके कार्यान्वयन की निगरानी करे। 2012 में सहयोग ने स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों के लिये अतःक्रियात्मक (इंटरैक्टिव वॉयस) प्रतिक्रिया का उपयोग करने के लिए एक परियोजना शुरू की, जिसमें कहा गया कि महिलाएँ मातृ स्वास्थ्य देखभागल सेवाओं के लिए अनौपचारिक भुगतान करती हैं, जो वे मुफ्त में प्राप्त करने की हकदार थी। 2013 में परियोजना के दो जिला पायलट संस्करण का मूल्यांकन किया गया था, और फिर 2014 में चार जिलों तक परियोजना को परिष्कृत और मापन किया गया था।

14.4.4 मनरेगा (MNREGA)

सरकार ने जमीनी स्तर पर पहल की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधियिम (मनरेगा) दुनिया की सबसे बड़ी कार्य आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसने 2006 से पूरे भारत को शामिल किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य

से प्रत्येक घर में एक वित्तिय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। (कौर एट एल, 2017) यह योजना सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करती है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार उत्पादक परिसंपत्तियों और आजीविका के संसाधन प्रबंधन (ज्यादातर पानी से संबंधित परियोजनाएं) से जुड़े सार्वजनिक कार्य शामिल हो सकते हैं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए संपत्ति की स्थिति में सुधार और आम और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण।

मनरेगा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ हैंः सभी ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार (प्रति घर में एक सदस्य) जो काम करने के लिए तैयार है (प्रति वर्ष सौ दिन)

- आवेदन के 15 दिनों के भीतर नौकरी की गारंटी के साथ मुफ्त पंजीकरण,
- साप्ताहिक भुगतान के साथ निश्चित न्यूनतम मजदूरी
- कम से कम एक तिहाई कर्मचारी महिलाओं के होने चाहिए।

833 मिलियन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले देश में मनरेगा कार्यान्वयन कार्यक्रम के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास की आवश्यकता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम ओ आर डी) के अंतर्गत आता है, जो राज्यों को संसाधनों और धन की पर्याप्त और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और इन संसाधनों के उपयोग की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

हाल के दिनों में, 2020 में महामारी के कारण मजदूरों के पलायन ने ग्रामीण गरीबों के लिए ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा में नए सिरे से रूचि पैदा की है।

14.4.5 एमएसएमई योजना (MSME)

हमने ऊपर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बारे में चर्चा की थी, आइए हम एमएसएमई के संवर्धन के लिए कुछ जमीनी पहल पर नजर डालें।

14.4.5.1 एमएसएमई संपर्क

एक नौकरी पोर्टल 27.06.2018 को शुरू किया गया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के नौकरी चाहने वालों (यानि उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं/छात्रों) में और भर्तीकर्ता पारस्परिक रूप से लाभकारी बातचीत के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

14.4.5.2 एमएसएमई समाधान

एमएसएमई को लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के खंड 15–24 के विलंबित भुगान के मद्दे को संबोधित करने के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को खरीदारों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को विलंबित भुगतान प्रदान करता है।

भुगतान में 45 दिनों की देरी से परे एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) से संपर्क करने का विकल्प देता है। एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत, आपूर्तिकर्ता इकाइयों को भुगतान में देरी, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन बार मासिक ब्याजों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज को आकर्षित करती है। एमएसएमई अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, एमएसएमई के मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2017 को एक पोर्टल

(http://samadhaan.msme.gov.in/) लॉन्च किया। पोर्टल एमएसएमई के संबंध में व्यक्तिगत सीपीएसई/केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों आदि और उनके साथ लंबित भुगतान के बारे में अन्य खरीदारों के बारे में जानकारी देता है। पोर्टल एमएसएमई को उनके विलंबित भुगतान संबंधी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी देती है। मामले के ऑनलाइन दाखिल हाने के 15 दिनों के बाद यह स्वचालित रूप से संबंधित एमएसईएफसी के साथ पंजीकृत हैं।

एमएसएमई समाधान पोर्टल, 30 अक्टूबर, 2017 को लॉन्च होने के बाद से, एमएसएमई ने भुगतान में देरी से संबंधित 18509 आवेदन दायर किए हैं। ऐसे मामलों के अतिरिक्त जहाँ विक्रेता और खरीदारों के बीच नकदी से किये जाने वाले (मैन्युअल) रूप से भुगतान हटा दिए गए थे, 4682 आवेदन 11.06.2019 तक मामलों मे बदल दिए गए थे।

14.4.5.3 प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (TCSP)

एमएसएमई मंत्रालय देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों (टूल रूप और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र) के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य हैः

1) भौतिक अवसंरचना की स्थापनाः इसमें 50 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना शामिल है।
2) मौजूदा प्रौद्योगिक केंद्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण।
3) विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी कलस्टर प्रबंधन (टीसीएम) की सेवाओं को संलग्न करना, क्षेत्र विशिष्ट टीसीएस की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए और जिससे उन्हें एमएसएमई और संस्थानों के साथ संपर्क में मदद मिलेगी।

बोध प्रश्न III

निम्न प्रश्नों का उत्तर दें।

1) स्वरोजगार महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों पर चर्चा करें।

....

....

....

....

....

....

2) नजदीक (NAZDEEK) प्रोग्राम क्या है? यह कब और किसके लिए शुरू किया गया था?

....

....

....

....

....

....

3) सेवा (SEWA) के कार्य मॉडल पर चर्चा कीजिए

....

....

....

....

....

....

4) मनरेगा गरीबों के लिए आजीविका की सुरक्षा का कारण कैसे बनता है?

....

....

....

....

....

....

14.5 सारांश

इस इकाई में, हमने समावेशी विकास की प्रक्रिया पर चर्चा शुरू की और विकास की प्रक्रिया में जमीनी पहल की प्रासंगिकता है। हमने राज्य के संस्थानों के साथ जमीनी नवाचारों और उनके संबंधों के विभिन्न पहलुओं को देखा। उसके बाद हमने विभिन्न समूहों/संगठनों और सरकार द्वारा विभिन्न हाशिए की श्रेणियों और समूहों के लिए चलाए जा रहे, विस्तार से विभिन्न जमीनी स्तर पर पहल कार्यक्रमों जैसे नजदीक, सेवा सहयोग और मनरेगा, एमएसएमई योजनाओं के बारे में जाना।

14.6 शब्दावली

विकास : विकास वह प्रक्रिया है, जो लोगों के अधिकारों और क्षमताओं का विस्तार करती है।

संयुक्त/समावेशी वृद्धि : इसका तात्पर्य समाज के हर वर्ग के लिए लाभ के साथ संसाधनों का एक समान आवंटन है।

जमीनी स्तर की पद्धति/नवचार : यह एक अनौपचारिक पर्यावरण का उल्लेख कर सकता है, जहाँ व्यक्ति स्थानीय समस्याओं के समाधन, उत्पादन और स्वदेशी रूप से उपलब्ध सामग्रियों के साथ परिवर्तन करने के लिए नवाचार करते हैं।

14.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- बैनर्जी एन.के. (2016) ग्रासरूट एम पॉवरमेंट (1975–1990): ए डिसकशन पेपर http://www.goods.ac.in/wp_content/upload/2016/09/grassrootempowerment.pdf एक्सेस्ड ऑन 18 अप्रैल 2020
- दत्ता रेखा, (2003), फॅराम डबलपमेंट टू एमपॉवरमेंटः द सेल्फ एम्प्लोयड वुमन्स एसोशियेशन इन इंडिया, इंटरेनेशनल जरनल ऑफ पॉलिटिक्स कल्चर एण्ड स्ट्रटेजी, पृष्ठ 351–368।
- ओल्गा वी. (2015) इंस्टीट्यूशनईलाईजेशन ऑफ ग्रासरूट इनोवेशन इन इंडिया, करंनट साईंस एसोशिएशन, वाल्यूम 108, संख्या 8, पृष्ठ 1476–1482.
- पोरस इना और कौर ननक (2018) इंडियाज महात्मा गाँधी गारंटी एम्प्लोयमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल इंस्टीट्युट फॉर इनवायरमेंट एण्ड डवलपमेंट, लंदन।
- अमृत्य सेन (1999) डवलपमेंट एज़ फ्रिडम, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

14.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) अमर्त्य सेन विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करता है, जो लोगों के लिए उनकी शर्तों, अधिकारों और क्षमाओं का विस्तार करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उत्पाद या सकल आय पर ध्यान केंद्रित करने के ब्याज, विकास अर्थशास्त्रियों को लोगों के अधिकारों और इन अधिकारों से उत्पन्न क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

2) समावेशी विकास/वृद्धि का तात्पर्य है समाज के हर वर्ग को मिलने वाले लाभों के साथ संसाधनों का एक समान आवंटन। समावेशी वृद्धि और विकास के लिए हमें अपने जीवन में आवश्यकता, कठिनाईयों और चुनौतियों के कारण नवाचारों का निर्माण करते हुए समाज के निचले स्तर से पहल को समझना होगा।

3) जमीनी स्तर पर नवाचार एक अनौपचारिक पर्यावरण को संदर्भित कर सकता है, जहाँ व्यक्ति स्थानिय समस्याओं को हल करने, स्वदेशी रूप से उपलब्ध सामग्रियों के साथ उत्पादन और परिवर्तन करने के लिए नवाचार कर सकते हैं। वे गैर बैंकिग और सूक्ष्म वित्तीय (माइक्रोफाइनांस) संस्थानों को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय उत्पादों जैसे कि बांस, नारियल सुपारी कोको, मसालों के बागान और उनकी कटाई प्रसंकरण, पैकेजिंग बिक्री, इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

4) a) भारत में संस्थागतकरण की प्रक्रिया 'बॉटम अप' सिद्धांत पर बनाई गई है, जो पूरी तरह से वास्तविकता (स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित) और संसाधनों की दक्षता और उपयोग को बनाए रखने की मांग पर अधारित है।

   b) नेटवर्किंग सिद्धांतों को (पदानुक्रमिक) के आधार पर स्थानीय संगठनों का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 'जमीनी स्तर की पहल' क्षैतिज है। यह समय और संसाधनों को बचाने का एक तरीका भी है इसलिए कॉपरेशन तेज और अधिक प्रभावी हो जाता है।

बोध प्रश्न II

1) टॉप डाउन उपागम का अर्थ है, विकेंद्रीकृत प्रणाली की ओर अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली से बदलाव, जहाँ स्थानीय (निचले स्तर) को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग करने और शीर्ष से नौकर शाही के कम से कम हस्तक्षेप के साथ योजना बनाने का मतलब है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर अग्रसर तेजी से विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 'बॉटम अप' दृष्टिकोण को अधिक सफल दृष्टिकोण माना गया है।

2) पंचायत के कार्य : विकास और योजना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में पंचायतों की प्राथमिक भूमिका।

बोध प्रश्न III

1) स्वरोजगार महिलाओं को इस प्रकार बांटा जा सकता हैः

   a) ग्रह आधारित उत्पादकोंः जो लोग कपड़े आदि बुनते हैं, वे मिट्टी के बर्तन बीड़ी, अगरबत्ती, पापड़ बनाते हैं और तैयार वस्त्र, सूत कातने और कढ़ाई काम करते हैं।

   b) छोटे विक्रेता और फेरीवाले, अपनी गाड़ियों और मेकशिफ्ट स्टोर्स से सब्जियाँ, फल और अन्य घरेलु सामान बेचते हैं।

   c) सेवाओं के प्रदाताः मैनुअल मजदूर जैसे कि कृषि मजदूर, निर्माण, श्रमिक, ठेका मजदूर, कपड़े धोने वाले और घरेलू कामगार उनमें रैगपिकर्स और श्रमिक भी शामिल हैं, जो वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं।

2) 2012 में गठित, नजदीक आदिवासी महिला स्वयंसेवकों के लिए एक कानूनी सशक्तिकरण संगठन है, जिन्होंने सोनितपुर जिले, असम में चाय बागान क्षेत्रों में होने वाली मातृभूमि शिशु स्वास्थ्य देखभाल के उल्लंघन के मामलों की पहचान की और रिपोर्ट की (उनके अंतिम मातृ मृत्यु दर के हिस्से के रूप में) इस पहल माध्यम से, महिलाएं पाठ संदेश के माध्यम से उल्लघंनों की रिपोर्ट कर सकती हैं, जो विशिष्ट स्थानों और उल्लंघनों के प्रकार के संख्यात्मक कोड का उपयोग करती हैं।

3) सेवा सहकारी समितियों में महिलाओं को संगठित करती है और एक ट्रेड यूनियन की तरह काम करती है। काम के अलावा, यह बैंकिग चाइल्डकैअर, कानूनी सहायता और व्यावसायिक निर्देश जैसी विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करता है। सेवा स्वयं नियोजित महिलाओं को परिभाषित करती है, जिसमें वे श्रमिक शामिल हैं जो अपने छोटे व्यवसायों या मजदूरी के माध्यम से जीविकोपर्जन करते हैं और औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की तरह नियमित वेतन प्राप्त नहीं करते हैं।

4) मनरेगा (2006) दुनिया की सबसे बड़ी कार्य आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक घर में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की निश्चित रूप से मजदूरी/रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य स्वयंसेवकों को अकुशल कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह योजना सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करती है और पंचायती राज (स्थानीय सरकार) संस्थानों को मजबूत करती है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर उत्पादक संपत्ति और आजीविका संसाधन भी प्रदान करती है।

संदर्भ

- बेनर्जी एन.के. (2016) ग्रासरूट एमपॉवरमेंट (1997–1990): ए डिसकशन पेपर http://www.cwds.ac.in/up-content/uploads/2016/09/grassroot empowerment.pdf एक्सेस्ड ऑन 18 अप्रैल 2020

- दत्ता, रेखा, (2003), फॅराम डवलपमेंट टू एमपॉवरमेंटः द सेल्फ एम्प्लोयड वुमन्स एसोशियेशन इन इंडिया, इंटरनेशनल जरनल ऑफ पॉलिटिक्स कल्चर एण्ड स्ट्रटेजी, पृष्ठ 351–368।

- उस्त्युजंतसेवा ओल्गा वी. (2015) इंस्टीट्यूशनईलाईजेशन ऑफ ग्रासरूट इनोवेशन इन इंडिया, करंनट साईंस एसोशिएशन, वाल्यूम 108, संख्या 8, पृष्ठ 1476–1482. http://www.istor.org/stable/24905392?search=yes&result Item click=accessed on 11th June 2020.

- पोरस इना और कौर ननक (2018) इंडियाज महात्मा गाँधी गारंटी एम्प्लोयमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल इंस्टीट्युट फॉर इनवायरमेंट एण्ड डवलपमेंट, लंदन। http://www. jstor.org/stable/resrep16742?search=yes&result Item click=&seq=1#metadata info tab contents accessed on 11th June, 2020

- अमृत्य सेन (1999) डवलपमेंट एज़ फ्रिडम, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

- शहाफ मार्टा, छाबरा श्रुति, फ्लोर्स वाल्टर, फेरूग्लियो फ्रांसेसा, दासगुप्ता जशोधारा एण्ड रूआनों एन लोरेना (2018), डज़ इनफॉरमेशन एण्ड कम्युनीकेशन टेक्नोलॉजी एड वेल्यु टु सिटीजन–लेड अकाऊनटेबीलटी इनीटेटीवस इन हेल्थ? एक्सपीरियस फॉरम इंडिया एण्ड गुटेमाला हेल्थ एण्ड हुमेन राईटस, वाल्युम 20, संख्या 2, इस्पेशल सेक्शनः हुमन राईट्स एण्ड सोशल डीटरमीन्नेटस ऑफ हेल्थ पृष्ठ 169–184.
  http://www.jstor.org/stable/10-2307/26542069 accessed on 13th May, 2020
  https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/39239/1/unit_1.pdf accessed on 13th May, 2020
  https://msme.gov.in/sites/default/files/anncelrprt.pdf accessed on 12th June, 2020